


श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री



छत्तीसगढ़ शासन



श्री रविन्द्र चौबे
मान. मंत्री, जल संसाधन

जल संसाधन विभाग



घोंघा जलाशय, जिला-बिलासपुर

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

शिवनाथ भवन





छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग



माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली गई बैठक

माननीय मंत्री

:

श्री रविन्द्र चौबे जी

मंत्रालय

सचिव

:

श्री अन्बलगन पी. (आई.ए.एस.)

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता

:

श्री इन्द्रजीत उडके



जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश की जीवन दायनी महानदी पर "राजिम के राजीवलोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर एवं लोमष ऋषि आश्रम तक निर्मित सस्पेंशन ब्रिज" की चौड़ाई 3.25 मीटर, लंबाई 610 मीटर एवं लागत रू. 33.12 करोड़ है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ क्रमांक	
		:	
1.	विभागीय संरचना	:	1-3
2.	विभाग के दायित्व	:	4-6
3.	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	:	7-16
4.	विभागीय सिंचाई सांख्यिकी	:	17-23
5.	विभागीय बजट एवं राजस्व	:	24-29
6.	अभिनव कार्य योजना	:	30-40
7.	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)	:	41
8.	पारदर्शी निविदा आमंत्रण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली	:	42-44
9.	जल संसाधन विकास नीति- 2022	:	45
10.	जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन	:	46
11.	भविष्य की योजनाएं (future vision)	:	47-49
12.	अन्तरराज्यीय जल विवाद (Interstate Water Disputes)	:	50
13.	विगत तीन वर्षों की उपलब्धियाँ	:	51-52
14.	कोविड-19 परिदृश्य में विभागीय गतिविधियाँ	:	53-55
15.	सफलता की कहानियाँ	:	56-64



माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर जल संसाधन विभाग द्वारा राजिम संगम स्थल पर निर्मित सस्पेंशन ब्रिज (लक्ष्मणझूला) का लोकार्पण दिनांक 01 मार्च 2022 को सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय धर्मस्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय अध्यक्ष गौ सेवा आयोग महंत श्री रामसुंदर दास जी, माननीय विधायकगण श्री अमितेश शुक्ल जी एवं श्री धनेन्द्र साहू जी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

भाग - 1 विभागीय संरचना

1.1 सामान्य

शासन की मंशा के अनुरूप विभाग का मूल दायित्व जल का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास कर अधिक से अधिक कृषकों तक सिंचाई का लाभ पहुंचाना है। इस हेतु विभाग द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की जल आवश्यकताओं का, राज्य एवं जिला स्तर पर आंकलन एवं उसकी पूर्ति के लिये उपाय हेतु कार्य योजना बनायी गई है।

जल एक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संसाधन है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल संसाधन विभाग प्रदेश के सर्वांगीण विकास में जल के संरक्षण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने तथा राज्य में कृषि, पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग का मूल दायित्व न केवल प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विकास करना है, बल्कि बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन एवं नवीन योजनाओं का सर्वेक्षण, निर्माण एवं निर्मित संसाधनों का रखरखाव करना भी है। राज्य में जल संसाधनों का युक्तियुक्त एवं मितव्ययिता पूर्ण उपयोग संभव बनाने आवश्यक विधिक प्रावधानों का सृजन एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना भी विभाग का ही दायित्व है।

1.2 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर

जल संसाधन विभाग का विभागाध्यक्ष प्रमुख अभियंता होते हैं। प्रमुख अभियंता के अधीन 5 मुख्य अभियंता मैदानी क्षेत्र में कार्यरत हैं एवं मुख्य अभियंता (प्रबोधन), कार्यालय प्रमुख अभियंता में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त बोधघाट परियोजना हेतु एक मुख्य अभियंता का मैदानी कार्यालय जगदलपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। मुख्य अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त जल संवर्धन योजनाएं यथा एनीकट, स्टापडेम तथा औद्योगिक बैराज का निर्माण संबंधी कार्यों के नियंत्रण अधिकारी हैं। मुख्य अभियंतावार कार्यक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

(I) मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना (मुख्यालय-रायपुर)

मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :-

वृहद परियोजना - महानदी परियोजना समूह अंतर्गत रविशंकर सागर (गंगरेल) जलाशय, मुरुमसिल्ली जलाशय (जिला धमतरी), दुधावा जलाशय (जिला कांकेर) एवं डॉ. खुबचंद बघेल (रूद्री) बैराज (जिला धमतरी) शामिल हैं। सोंदूर जलाशय (जिला धमतरी) एवं राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन योजना (जिला रायपुर)।

मध्यम परियोजना - परालकोट जलाशय, मयाना जलाशय (जिला कांकेर), पं. लखनलाल मिश्र (पेण्ड्रावन) जलाशय (जिला रायपुर), कोसारटेडा जलाशय (जिला बस्तर), झीरम नदी व्यपवर्तन योजना (जिला सुकमा)।

लघु सिंचाई योजना - जिला रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(ii) मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार (मुख्यालय- रायपुर)

मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :-

वृहद परियोजना - तांदुला जलाशय परियोजना (जिला बालोद), सिकासार (पैरी परियोजना) जलाशय (जिला गरियाबंद), शहीद वीर नारायण सिंह (कोडार) जलाशय (जिला महासमुंद) एवं जोंक व्यपवर्तन योजना (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा)।

मध्यम परियोजना - कुम्हारी जलाशय (जिला रायपुर), बलार जलाशय (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा), केशवानाला जलाशय, अपर जोंक परियोजना (जिला महासमुंद), गोंदली जलाशय, खपरी जलाशय, मरोदा जलाशय (जिला दुर्ग), खरखरा जलाशय (जिला बालोद), मटियामोती जलाशय, मोंगरा बैराज, घुमरिया बैराज, रुसे जलाशय, धारा जलाशय, पिपरियानाला जलाशय, शिवनाथ व्यपवर्तन योजना, सूखानाला बैराज (जिला राजनांदगांव), सरोदा जलाशय, छीरपानी जलाशय, बेहराखार जलाशय, सुतियापाट जलाशय, कर्नानाला बैराज (जिला कबीरधाम)।

लघु सिंचाई योजना - जिला रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, महासमुन्द, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम एवं बेमेतरा की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(iii) मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना (मुख्यालय-बिलासपुर)

मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :-

वृहद परियोजना - मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना (जिला कोरबा) एवं दिलीप सिंह जूदेव (केलो) परियोजना (जिला रायगढ़)।

लघु सिंचाई योजना - जिला रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(iv) मुख्य अभियंता, हसदेव कछार (मुख्यालय-बिलासपुर)

मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :-

वृहद परियोजना - खारंग जलाशय परियोजना, अरपा-भैंसाझार परियोजना (जिला बिलासपुर), मनियारी जलाशय परियोजना (जिला मुंगेली)।

मध्यम परियोजना - घोंघा जलाशय परियोजना (जिला बिलासपुर), केदारनाला जलाशय, पुटका जलाशय, किंकारी जलाशय, खम्हारपाकुट जलाशय, मांड व्यपवर्तन (जिला रायगढ़)।

लघु सिंचाई योजना - जिला बिलासपुर, मुंगेली, गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(v) मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार (मुख्यालय-अंबिकापुर)

मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं :-

मध्यम परियोजना - झुमका जलाशय, गेज जलाशय (जिला कोरिया), कुंवरपुर जलाशय, बांकी जलाशय, श्याम घुनघुट्टा जलाशय, श्याम बरनई जलाशय (जिला सरगुजा)।

लघु सिंचाई योजना - जिला सरगुजा, कोरिया, सुरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर की लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।

(vi) मुख्य अभियंता (प्रबोधन)

मुख्य अभियंता (प्रबोधन), कार्यालय प्रमुख अभियंता में संलग्न अधिकारी हैं। मुख्य अभियंता (प्रबोधन) का दायित्व विभाग की निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं की मानिट्रिंग के साथ केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं, नाबार्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं, विभागीय बजट, निविदा संबंधी कार्य एवं समस्त तकनीकी स्वरूप के कार्यों का संपादन करना है।

(vii) (प्रस्तावित) मुख्य अभियंता बोधघाट परियोजना (जगदलपुर)

मुख्य अभियंता बोधघाट परियोजना (जगदलपुर) के कार्यक्षेत्र अंतर्गत बोधघाट सिंचाई परियोजना का निर्माण संचालन एवं संधारण तथा क्षेत्र की अन्य मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी प्रस्तावित है। शासन द्वारा आदेश क्र. एफ 11-01/31/स्था/2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/03/2021 द्वारा आयाकट कार्यालय का पुर्ननियोजन कर अधीक्षण अभियंता, बोधघाट परियोजना मण्डल, दन्तेवाड़ा कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिसके अधीन संभागो का पुर्ननियोजन किया जाना प्रस्तावित है।

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का विवरण

जल संसाधन विभाग में 01 प्रमुख अभियंता, 05 मुख्य अभियंता, 13 मंडल, 62 संभाग एवं 291 उपसंभाग के अतिरिक्त 05 गुण नियंत्रण ईकाई के कार्यालय कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के परिपत्र क्र. 38/170/3-1/2004, दिनांक 06.02.2004 द्वारा जारी आदेश पश्चात संशोधित सेटअप की स्वीकृति छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-11-2/31/स्था./2005/दिनांक 04.01.2007 एवं एफ-11-5/31/स्था./2007, दिनांक 04.01.2008 तथा एफ-11-16/31/स्था./2007, दिनांक 05.05.2008 द्वारा प्रदान की गई है।



शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में माननीय मंत्रीजी के कक्ष में माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. एवं अन्य माननीय मंत्रीगण

भाग - 2

विभाग के दायित्व

जल संसाधन विभाग का दायित्व प्रदेश में सतही जल तथा भू-जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास करना है। इनमें मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जल संसाधनों का सुनियोजित विकास इस प्रकार करना, जो पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय (Sustainable) हो।
- राज्य में जल संसाधन का आंकलन करना और संपूर्ण जल सेक्टर के लिये व्यापक योजना बनाने की नीति निर्धारित करना तथा जल के समन्वित उपयोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत (गाइड लाईन) जारी करना।
- सूखा प्रभावित तथा वृष्टिछाया क्षेत्रों (Rainshadow Areas) में जल संसाधन के विकास के हर संभव प्रयास करना, जो तकनीकी दृष्टि से साध्य हो।
- कृषि, पेयजल एवं निस्तारी तथा उद्योगों हेतु आवश्यक जल व्यवहारिक दरों पर उपलब्ध कराना।
- सिंचित कमांड एरिया में सिंचाई तथा जल निकास कार्यों का नीति निर्धारण करना और संसाधन प्राप्त करने की भूमिका निभाना।
- जल संसाधनों के विकास एवं संधारण में जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- योजनाओं का सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा विस्तृत रूपांकन कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।
- वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाएं (जलाशय, व्यपवर्तन, उद्वहन, नलकूप, एनीकट/स्टापडेम) एवं औद्योगिक बैराज का निर्माण तथा निर्मित सिंचाई योजनाओं का रखरखाव, संचालन इत्यादि।
- बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं बनाना तथा अनुसंधान की सहायता से जल संसाधनों के उपयोग की योजना तैयार करना।
- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितियों का आंकलन कर जल संवर्धन योजनाएं प्रस्तावित करना।
- खुली नहर के स्थान पर पाईप लाईन का उपयोग कर अधिक सिंचाई एवं फसल चक्र हेतु सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं तैयार करना।
- विभागीय अभियंताओं एवं कर्मचारियों को समयबद्ध कार्यक्रम में प्रशिक्षण देना।

2.1 जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के उत्तरदायित्व एवं कार्य

2.1.1 प्रमुख अभियंता

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ शासन के तकनीकी सलाहकार है। इनका कार्य मुख्य अभियंताओं के कार्यों को समन्वित करना है। मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :-

- कार्य योजना तैयार करना।

- बजट बनाना ।
- वित्तीय आबंटन संबंधी कार्य ।
- स्थापना से संबंधित कार्य ।
- विकास एवं अनुसंधान तथा नियंत्रण एवं पालन ।
- मुख्य अभियंताओं एवं शासन के साथ समन्वय ।

2.1.2 मुख्य अभियंता

मुख्य अभियंता, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कछार एवं परियोजना के प्रमुख हैं। अपने संरचना अंतर्गत लोक कार्यों एवं समस्त निर्माण कार्यों के त्वरित एवं युक्ति संगत क्रियान्वयन के लिये तकनीकी सलाहकार के रूप में प्रतिस्थापित है। मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :-

- योजना बनाना ।
- कार्यों का क्रियान्वयन ।
- वित्तीय अनुशासन लागू करना ।
- शोध एवं विकास कार्य ।

2.1.3 अधीक्षण अभियंता

अधीक्षण अभियंता, मण्डल के प्रभार में रहते हुये अपने क्षेत्र के अधीन लेखा कार्य, रूपांकन, अनुसंधान इत्यादि कार्यों के संपादन के लिये उत्तरदायी हैं। अधीक्षण अभियंता ऐसे सभी आदेशों एवं निर्देशों के लिये भी उत्तरदायी हैं, जो उन्हें समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त होते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता एवं अन्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिये नियंत्रणकर्ता अधिकारी हैं।

2.1.4 कार्यपालन अभियंता

कार्यपालन अभियंता, संभागीय कार्यालय का शीर्ष अधिकारी है। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के नियंत्रण में रहते हुये उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्ता के अनुरूप निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति पूर्ण उत्तरदायी हैं। कार्यपालन अभियंता का कार्य क्षेत्र विस्तृत है, जिसमें योजना तैयार करना, निर्माण कार्य, रख-रखाव एवं अन्य समस्त यांत्रिकी कार्यों का समावेश है। इन कार्यों को नियंत्रण में रखते हुये, सफलतापूर्वक इनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाना है। योजनाओं के अनुसंधान, निर्माण कार्य एवं रख-रखाव से संबंधित समस्त कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने का उत्तरदायित्व कार्यपालन अभियंता का है।

2.1.5 सहायक अभियंता

सहायक अभियंता, अनुविभाग के प्रभार में रहते हुये अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के सफल क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्वक निर्माण एवं वित्तीय भुगतान के प्रति मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। सहायक अभियंता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से ड्राईंग के अनुरूप, विभागीय मापदण्ड एवं नियमानुसार कार्यों के सम्पादन के लिये भी उत्तरदायी हैं।

अनुविभागीय अधिकारी के प्रभार में रहते हुये सहायक अभियंता को अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई राजस्व वसूली के लिये नहर प्रतिसमाहर्ता के रूप में केनाल डिप्टी कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हैं। इन्हें सिंचाई राजस्व वसूली के दायित्व का भी निर्वहन करना है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सहायक अभियंता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में परियोजना के सर्वेक्षण कार्य, अनुसंधान एवं ड्राईंग बनाने का कार्य किया जाता है एवं वित्तीय आदान-प्रदान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त किया जाता है।

2.1.6 उप अभियंता

उप अभियंता, वास्तविक रूप से अपने प्रभार के निर्माण कार्यों के निष्पादन में विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। जल कर वसूली के लिये इन्हें अतिरिक्त तहसीलदार के समकक्ष अधिकार प्राप्त हैं एवं सिंचाई जल वितरण के लिये वह सक्षम प्राधिकृत अधिकारी है।




माननीय मंत्रीजी द्वारा ली गई विभागीय समीक्षा बैठक

भाग - 3

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 44.57 प्रतिशत वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से सम्पन्न हैं। प्रदेश की नदियाँ सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। भौगोलिक संरचना अनुसार प्रदेश को पांच नदी कछारों में विभक्त किया गया है यथा गंगा कछार उत्तर में, नर्मदा कछार पश्चिम में, ब्राम्हणी कछार उत्तर पूर्व में, महानदी कछार मध्य में और गोदावरी कछार दक्षिण में स्थित है। इन नदी कछारों का जल ग्रहण क्षेत्र निम्नानुसार है :-



स. क्रं.	कछार का नाम	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
1	महानदी कछार	77.432	56.15
2	गोदावरी कछार	39.497	28.64
3	गंगा कछार	18.789	13.63
4	ब्राम्हणी कछार	1.423	1.03
5	नर्मदा कछार	0.759	0.55
योग :-		137.900	100

प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से आंकलित सतही जल की मात्रा 48296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जाना संभावित है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44 प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से 110 विकासखण्ड भू-जल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में, 27 विकासखण्ड आंशिक संकट की श्रेणी में, 09 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित है।

3.1 प्रमुख विशेषतायें

छत्तीसगढ़ का कुल बोया गया क्षेत्र 55.40 लाख हेक्टेयर तथा निरा बोया क्षेत्र 46.53 लाख हेक्टेयर है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में सिंचाई क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2028 तक उपलब्ध सतही जल से 32 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता प्राप्त कर 100 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.1.1. STATE SPECIFIC ACTION PLAN (SSAP) on Water Sector :-

सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) के अंतर्गत जल क्षेत्र पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के आँकलन हेतु सभी राज्यों के लिए जल क्षेत्र पर राज्य विशेष कार्य योजना (SSAP on Water Sector) तैयार कर रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में एक प्रारूप प्रतिवेदन (Draft Report) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) रायपुर की विशेषज्ञता में तैयार की गई है, आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मुख्य उद्देश्य :-

1. राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य— जल उपयोग क्षमता में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में जल संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों का आंकलन करना।
4. राज्य का "वार्षिक जल-बजट" तैयार करना।
5. राज्य और उनके नागरिकों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में क्रियाकलाप को बढ़ावा देना।
6. वर्ष 2050 तक के लिये जल सुरक्षा, बचत और सततता आधारित एक विस्तृत और एकीकृत जल-योजना तैयार करना।
7. वर्तमान और भविष्य की जल आवश्यकताओं, चुनौतियों और उनके समाधान की रणनीति बनाना।
8. वर्तमान और पूर्व आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर जल की उपलब्धता और मांग का वैज्ञानिक अध्ययन करना।

3.2 निर्मित योजना :-

3.2.1 वृहद परियोजना - 08 वृहद परियोजना जिसमें महानदी परियोजना समूह (रविशंकर सागर जलाशय, मुरुमसिल्ली जलाशय, दुधावा जलाशय), तांदुला जलाशय, सिकासार (पैरी) जलाशय, शहीद वीर नारायण सिंह (कोडार) जलाशय, जोंक व्यपवर्तन, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, खारंग जलाशय एवं मनियारी जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण है।



विश्व बैंक एवं केन्द्रीय जल आयोग की टीम द्वारा वृहद परियोजनाओं हेतु DRIP II के तहत ली गई समीक्षा बैठक

3.2.2 मध्यम परियोजना - 37 मध्यम परियोजना जिसमें कुम्हारी जलाशय, बलार जलाशय, केशवानाला जलाशय, अपर जोंक परियोजना, गोंदली जलाशय, खपरी जलाशय, मरोदा जलाशय, खरखरा-मोंहदीपाट परियोजना, मटिया मोती जलाशय, मोगरा बैराज, घुमरिया नाला बैराज, रूसे जलाशय, धारा जलाशय, पिपरियानाला जलाशय, शिवनाथ व्यपवर्तन, सरोदा जलाशय, छिरपानी जलाशय, बहेराखार जलाशय, सुतियापाट जलाशय, कर्रनाला बैराज, परालकोट जलाशय, मयाना जलाशय, झीरम नदी व्यपवर्तन, पं. लखनलाल मिश्र (पेण्ड्रावन) जलाशय, कोसारटेडा जलाशय, घोंघा जलाशय, केदारनाला जलाशय, पुटका जलाशय, किंकारी जलाशय, खम्हारपाकुट जलाशय, मांड व्यपवर्तन, झुमका जलाशय, गेज जलाशय, कुंवरपुर जलाशय, बांकी जलाशय, श्याम घुनघुट्टा जलाशय एवं बरनई जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण है।



सरोदा मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला- कबीरधाम

3.2.3 लघु सिंचाई योजना - वृहद एवं मध्यम योजनाओं के अलावा 2464 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित हैं।

3.2.4 एनीकट/स्टापडेम - 783 एनीकट/स्टापडेम/बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण है। इसका निर्माण निस्तारी, भूजल संवर्धन एवं नदी तट के समीप के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।



भिलौनी एनीकट योजना, जिला - बिलासपुर

वृहद परियोजना (निर्मित)

स.क्र.	परियोजना का नाम	जिला	उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	आरक्षित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)				रूपांकित क्षेत्र		
				उद्योग	पेयजल	निस्तारी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महानदी परियोजना समूह	रायपुर	1213.00	84.96	90.62	71.14	246.72	124951	0	124951
		बलौदा बा0						67862	0	67862
		धमतरी						63368	0	63368
		बालोद						18106	0	18106
		योग	1213.00	84.96	90.62	71.14	246.72	274287	0	274287
2	तांदुला जलाशय	बालोद	302.31	0	0	100.00	100.00	31971	0	31971
		दुर्ग						56015	0	56015
		बेमेतरा						16145	0	16145
		योग	302.31	0	0	100.00	100.00	104131	0	104131
3	सिकासार (पैरी) जलाशय	गरियाबंद	198.88	0	0	39.77	39.77	33988	23472	57460
		धमतरी						12146	10523	22669
		योग	198.88	0	0	39.77	39.77	46134	33995	80129
4	कोडार जलाशय	महासमुंद	149.02	0	0	29.80	29.80	16791	6718	23509
5	जोंक व्यपवर्तन	बलौदा बाजार-भाटापारा	0	0	0	0	0	14569	0	14569
6	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना	कोरबा	2894.33	414.67	14.00	0	428.67	6676	4178	10854
		जांजगीर-चांपा						237807	166113	403920
		रायगढ़						11911	8338	20249
		योग	2894.33	414.67	14.00	0	428.67	256394	178629	435023
7	खारंग जलाशय	बिलासपुर	190.32	0	0	26.50	26.50	48810	7500	56310
8	मनियारी जलाशय	मुंगेली	147.70	0	0	18.81	18.81	52000	3000	55000
योग 8 निर्मित वृहद परियोजनायें			5095.56	499.63	104.62	286.02	890.27	813116	229482	1042958



मनियारी जलाशय वृहद परियोजना, जिला-मुंगेली

मध्यम परियोजना (निर्मित)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	आरक्षित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)				रूपांकित क्षेत्र		
				उद्योग	पेयजल	निस्तारी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कुम्हारी जलाशय	रायपुर	11.30	0	0	2.27	2.27	1661	0	1661
		बलौदाबाजार						1473	0	1473
2	बलार जलाशय	बलौदाबाजार	36.63	0	0	7.32	7.32	8000	0	8000
3	केशवानाला जलाशय	महासमुंद	17.8	0	0	2.26	2.26	3846	0	3846
4	अपर जॉक परियोजना	महासमुंद	0	0	0	0	0	810	0	810
5	गोंदली जलाशय	बालोद	96.6	0	0	28.32	28.32	6990	0	6990
6	खपरी जलाशय	दुर्ग	11.68	0	0	0.73	0.73	4083	0	4083
		बालोद						998	0	998
7	मरोदा जलाशय	दुर्ग	31.96	6.39	0	0	6.39	445	0	445
8	खरखरा जलाशय	दुर्ग	141.69	58.00	15.00	4.00	77.00	1782	0	1782
		बालोद						20088	0	20088
9	मटियामोती जलाशय	राजनांदगांव	26.49	0	5.95	4.08	10.03	2070	900	2970
		दुर्ग						2930	600	3530
10	मोंगरा बैराज	राजनांदगांव	23.65	0	0	4.73	4.73	8100	1331	9431
	मोंगरा बैराज फेस-2	राजनांदगांव						815	125	940
11	धुमरिया बैराज	राजनांदगांव	2.83	0	0	0	0	2000	150	2150
12	रूसे जलाशय	राजनांदगांव	9.18	0	0	1.99	1.99	1997	150	2147
13	धारा जलाशय	राजनांदगांव	5.08	0	0	1.49	1.49	1164	0	1164
14	पिपरिया जलाशय	राजनांदगांव	40.56	0	4	4.10	8.10	6242	810	7052
15	शिवनाथ व्यपवर्तन	राजनांदगांव	0	0	0	0	0	6870	0	6870
16	सरोदा जलाशय	कबीरधाम	30.14	1.41	1.00	3.62	6.03	7355	0	7355
17	छिरपानी जलाशय	कबीरधाम	50.25	0	0	10.05	10.05	7000	2100	9100
18	बहेराखर जलाशय	कबीरधाम	13.71	2.74	0	0	2.74	405	81	486
19	सुतियापाट परियोजना	कबीरधाम	36.83	0	0	7.03	7.03	8952	2900	11852
		राजनांदगांव						768	0	768
20	करानाला बैराज	कबीरधाम	18.09	0	0	3.61	3.61	3038	770	3808
		राजनांदगांव						1412	0	1412
21	परालकोट जलाशय	कांकेर	63.55	0	0	0	0	9717	4858	14575
22	मयाना जलाशय	कांकेर	5.60	0	0	0	0	1483	0	1483
23	झीरमनदी व्यपवर्तन	सुकमा	0	0	0	0	0	2666	0	2666
24	पिंड्रावन जलाशय	रायपुर	10.60	0	0	2.12	2.12	2592	0	2592
25	कोसारटेडा परियोजना	बस्तर	63.70	0	0	12.74	12.74	7360	3760	11120
26	घोंघा जलाशय	बिलासपुर	30.08	0	0	4.57	4.57	8343	0	8343
27	केदार जलाशय	रायगढ़	16.57	0	0	0.9	0.90	7489	810	8299
28	पुटका जलाशय	रायगढ़	6.61	0	0	0.35	0.35	1700	0	1700
29	किंकारी जलाशय	रायगढ़	15.72	0	0	0.54	0.54	4048	0	4048
30	खम्हारपाकुट जलाशय	रायगढ़	19.38	0	0	3.87	3.87	3441	0	3441
31	मांड व्यपवर्तन	रायगढ़	0	0	0	0	0	2488	1620	4108
		जांजगीर						6335	2753	9088
32	झुमका जलाशय	कोरिया	22.87	0	0	4.67	4.67	1801	1125	2926
33	गेज जलाशय	कोरिया	25.80	0	0	5.77	5.77	2720	1696	4416
34	कुंवरपुर जलाशय	सरगुजा	15.63	0	0	3.12	3.12	4251	0	4251
35	बांकी जलाशय	सरगुजा	17.07	0	0	3.41	3.41	0	3441	3441
36	श्याम घुनघुट्टा जलाशय	सरगुजा	62.05	0	0	12.41	12.41	7650	5400	13050
37	बरनई जलाशय	सरगुजा	11.36	0	0	2.23	2.23	1510	1310	2820
योग 37 निर्मित मध्यम परियोजनायें			991.06	68.54	25.95	142.30	236.79	186888	36690	223578

3.3 निर्माणाधीन योजनाएं

3.3.1 वृहद परियोजना - 04 वृहद परियोजनायें, जिसमें अरपा भैंसाझार परियोजना, केलो परियोजना, राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन परियोजना एवं सोंदूर जलाशय परियोजना निर्माणाधीन हैं।

(I) अरपा भैंसाझार परियोजना - मुख्यमंत्री फ्लेगशिप योजना अंतर्गत शामिल यह परियोजना बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम-भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु. 1141.90 करोड़ है। योजना के पूर्ण होने से लगभग 25000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी, जिससे बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखण्ड के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। योजना का शीर्ष कार्य 100 प्रतिशत एवं नहर कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है, कार्य प्रगति पर है। योजना को जून 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना की निर्माणाधीन वितरक प्रणाली से 12,800 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

(ii) केलो परियोजना - केलो जलाशय परियोजना से रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिले के 175 ग्रामों की 22810 हेक्टेयर भूमि में खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ-साथ रायगढ़ शहर के पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना के निकट स्थापित उद्योगों को 4.44 मि.घ.मी. जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु. 972.22 करोड़ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से दिसम्बर 2021 तक 17105 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिया गया है। योजना का शीर्ष कार्य 99 प्रतिशत एवं नहर कार्य 80.50 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है। योजना को जून 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना से 5843 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

(iii) राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन परियोजना— राजीव समोदा (निसदा) व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण का कार्य मई 2006 में पूर्ण कर 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु रु. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत 28000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष इस योजना से 920 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

(iv) सोंदूर जलाशय परियोजना - सोंदूर जलाशय परियोजना धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरी तहसील के ग्राम मेचका के पास सोंदूर नदी पर स्थित है। योजना का शीर्ष कार्य पूर्ण है एवं नहर कार्य प्रगति पर है। योजना की पुनरीक्षित लागत रु. 564.79 करोड़ है। योजना से नगरी सिहावा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 66 ग्राम लाभान्वित होंगे। योजना की रूपांकित सिंचाई 12260 हेक्टेयर के विरुद्ध 11888 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिया गया है। इस वर्ष इस क्षेत्र के 7564 हेक्टेयर रकबे में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

भाटापारा शाखा नहर -

भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 0.00 से 45.00 तक (महानदी जलाशय योजना अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 17882 हेक्टेयर है, जिसके विरुद्ध 17759 हेक्टेयर में सिंचाई सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2021-22 में 11905 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है एवं भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 45.00 से 61.00 तक (सोंदूर जलाशय योजना अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 26210 हेक्टेयर है, जिसके विरुद्ध 21455 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2021-22 में 11935 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है। इसी प्रकार भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 61.00 से 85.715 तक (राजीव समोदा व्यपवर्तन अंतर्गत) भाग की रूपांकित क्षमता 23908 हेक्टेयर है, जिसके विरुद्ध 18000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है एवं वर्ष 2021-22 में 8450 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है। योजना की समेकित रूपांकित क्षमता एवं सृजित सिंचाई तथा वास्तविक सिंचाई निम्नानुसार है :-

स.क्र.	नहर का नाम	रूपांकित रकबा	जून 2021 की स्थिति में सृजित रकबा	वर्ष 2021-22 में की गयी खरीफ सिंचाई
01	भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 0.00 से 45.00 तक (महानदी जलाशय वृहद परियोजना अन्तर्गत)	17882	17759	11905
02	भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 45.00 से 61.00 तक (सोंदूर जलाशय वृहद परियोजना अंतर्गत)	26210	21455	11935
03	भाटापारा शाखा नहर कि.मी. 61.00 से 85.715 तक (राजीव समोदा डायवर्सन वृहद परियोजना अंतर्गत)	23908	18000	8450
योग :-		68000	57214	32290

3.3.2 लघु सिंचाई योजना - 335 लघु सिंचाई योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.3.3 एनीकट / स्टापडेम / बैराज - 166 एनीकट / स्टापडेम का निर्माण कार्य प्रगति पर है।



मनियारी नदी और घोंघा नदी के संगम स्थल पर मनियारी नदी में निर्मित बिरकोनी एनीकट कम काजवे योजना, जिला-मुंगेली का गुगल इमेज दिनांक 20.04.2021 ग्रीष्म ऋतु में जहां एनीकट के D/S में नदी सूखी है, वहीं U/S में एनीकट के कारण नदी में लगभग 4 कि.मी. तक जल भराव होना, एनीकट निर्माण की सार्थकता सिद्ध कर रहा है।

वृहद परियोजना (निर्माणाधीन)

स. क्र.	परियोजना का नाम	जिला	उपयोगी जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	आरक्षित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)				रूपांकित क्षेत्र		
				उद्योग	पेयजल	निस्तारी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	अरपा भैंसाझार परियोजना	बिलासपुर	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25000	0	25000
2	केलो परियोजना	रायगढ़	61.95	4.44	4.44	0.00	8.88	21596	0	21596
		जांजगीर-चांपा						1214	0	1214
		योग	61.95	4.44	4.44	0.00	8.88	22810	0	22810
3	राजीव समोदा व्यपवर्तन	रायपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	28000	0	28000
4	सोंदूर परियोजना	धमतरी	179.61	0.00	0.00	60.50	60.50	12260	0	12260
		बलौदाबाजार						26210	0	26210
		योग	179.61	0.00	0.00	60.50	60.50	38470	0	38470
योग निर्माणाधीन 4 वृहद परियोजनायें			263.74	4.44	4.44	60.50	69.38	114280	0	114280
महायोग निर्मित, निर्माणाधीन कुल 12 वृहद परियोजनायें			5359.30	504.07	109.06	346.52	959.65	927393	229482	1157238



केलो वृहद सिंचाई परियोजना, जिला - रायगढ़

3.3.4 छ: औद्योगिक बैराज

प्रस्तावित 6 बैराज में से 05 बैराज यथा समोदा बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, साराडीह बैराज एवं कलमा बैराज का कार्य पूर्ण है। शिवरीनारायण बैराज का कार्य माह 03 / 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इन बैराजों से 17 उद्योगों को 630.29 मि.घ.मी. जल आबंटित है, जिससे शासन को प्रतिवर्ष रू. 661.80 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होगी। उद्योगों से 21795 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। इन योजनाओं से कृषकों को भी स्वयं के साधन से 2804 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

स.क्र.	बैराज का नाम	जिला	निर्माण लागत (करोड़ में)	लाभान्वित उद्योगों की संख्या	औद्योगिक संस्थानों को आबंटित जल की मात्रा (मि.घ.मी.)	जल भराव क्षमता (मि.घ.मी.)	कृषकों द्वारा स्वयं के व्यय से सिंचाई (हेक्टेयर में)
1	समोदा	रायपुर	76.50	01	25.00	29.94	-
2	शिवरीनारायण	जांजगीर-चांपा	122.61	02	125.00	37.00	690
3	बसंतपुर	जांजगीर-चांपा	233.60	02	47.00	50.62	640
4	मिरौनी	जांजगीर-चांपा	348.37	01	35.00	52.65	830
5	साराडीह	जांजगीर-चांपा	399.02	05	239.33	54.24	333
6	कलमा	जांजगीर-चांपा	182.03	06	158.96	50.64	311
योग			1362.13	17	630.29	275.09	2804



श्री अन्बलगन पी., सचिव, जल संसाधन द्वारा निर्माणाधीन शिवरीनारायण बैराज का निरीक्षण

भाग - 4

विभागीय सिंचाई सांख्यिकी

सृजित सिंचाई एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर पर कार्य योजना :-

सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट / स्टापडेम, बैराज एवं नलकूप इत्यादि हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित थी तथा 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ था।

वर्तमान में दिसंबर 2021 की स्थिति में 08 वृहद, 37 मध्यम एवं 2464 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 783 एनीकट / स्टापडेम निर्मित हैं, इनके साथ ही 04 वृहद, 1 मध्यम एवं 335 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 166 एनीकट / स्टापडेम / बैराज निर्माणाधीन हैं।

राज्य में मार्च 2018 तक 20.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित की गयी थी, परन्तु योजनाओं के जल प्रबंधन में खामियों के चलते इस निर्मित क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई औसतन 10 लाख हेक्टेयर तक ही हो पाती थी। विगत 3 वर्षों में योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं निर्मित तथा वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने हेतु विभाग ने विशेष ध्यान देकर कार्ययोजना बनाई तथा पुरानी जीर्ण योजनाओं के उन्नयन एवं जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के प्रयास किये हैं, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2020-21 तक सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध गत वर्ष 1266103 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक खरीफ सिंचाई तथा 91995 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई, इस प्रकार कुल 1358098 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस वर्ष 2021-22 में सृजित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 1286148 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक खरीफ सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

इन योजनाओं से दिसम्बर 2021 तक कुल सृजित सिंचाई क्षमता 21.40 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात 8.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। सिंचाई संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं विभाग के रूपांकित एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने के प्रयासों के फलस्वरूप ऐसा हो सका है।

इसके अतिरिक्त राज्य में निजी स्रोतों (कुआं, तालाब, ट्यूबवेल आदि) से भी काफी बड़े रकबे में सिंचाई उपलब्ध होती है, जिसके आकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं थे। जल संसाधन विभाग ने सम्पूर्ण प्रदेश में निजी स्रोतों से की जा रही सिंचाई के आकड़े भी संकलित किये हैं। लगभग 9,40,240 हेक्टेयर रकबे में निजी स्रोत से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। इस तरह शासकीय तथा निजी स्रोतों से की गयी कुल वास्तविक सिंचाई 2230757 हेक्टेयर हो गयी है।

इस प्रकार प्रदेश में बोया गया रकबा के विरुद्ध शासकीय स्रोतों से सृजित सिंचाई का प्रतिशत 38.63% एवं समस्त स्रोतों (शासकीय एवं निजी) से की गयी कुल वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत 40.26% हो गया है।

जिलेवार सिंचाई

स. क्र.	जिले का नाम	कुल बोया गया क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई का प्रतिशत	वास्तविक सिंचाई क्षेत्र (विगत पांच वर्षों का औसत)	वर्ष 2021-22 में कुल शासकीय स्रोत से वास्तविक सिंचाई		वर्ष 2021-22 में कुल वास्तविक सिंचाई (निजी + शासकीय)		बोया गया क्षेत्र के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत		
						खरीफ	रबी	खरीफ	रबी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	धमतरी	210079	119991	57.12	95968	89375	0	89375	119447	13627	133074	63.34
2	रायपुर	195365	153130	78.38	108597	109207	0	109207	131936	11939	143875	73.64
3	बालोद	242734	116649	48.06	93585	89582	0	89582	117931	22392	140323	57.81
4	मुंगेली	213631	78928	36.95	57751	61572	0	61572	82514	16960	99474	46.56
5	दुर्ग	180887	89810	49.65	56434	64720	0	64720	102296	32070	134366	74.28
6	बलौदाबाजार-भाटापारा	254289	159292	62.64	97286	118694	752	119446	138871	11127	149998	58.98
7	महासमुन्द	302444	69637	23.02	36692	37872	0	37872	85474	33621	119095	39.38
8	बिलासपुर	181374	140714	77.58	77884	102791	2	102793	131920	18112	150032	82.72
9	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	69703	25652	36.80	7620	13224	0	13224	16474	666	17140	24.59
10	जांजीर-चांपा	269343	410235	152.31	243902	230434	0	230434	236482	6259	242741	90.12
11	कबीरधाम (कवधी)	266846	61345	22.99	30995	38274	0	38274	103064	51360	154424	57.87
12	गरियाबंद	157652	84833	53.81	41254	42263	0	42263	61806	13164	74970	47.55
13	राजनांदागांव	494466	132760	26.85	67009	87720	0	87720	148755	46561	195316	39.50
14	रायगढ़	279916	91817	32.80	36933	49584	0	49584	77408	3649	81057	28.96
15	कोरबा	134588	29394	21.84	14064	16343	0	16343	19091	0	19091	14.18

स. क्र.	जिले का नाम	कुल बोया गया क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई का प्रतिशत	वास्तविक सिंचाई क्षेत्र (विगत पांच वर्षों का औसत)	वर्ष 2021-22 में कुल शासकीय स्रोत से वास्तविक सिंचाई			वर्ष 2021-22 में कुल वास्तविक सिंचाई (निजी + शासकीय)			बोया गया क्षेत्र के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई का प्रतिशत
						खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	कांकेर	223722	47255	21.12	19228	13143	0	13143	43214	0	43214	19.32
17	बेमेतरा	345437	62926	18.22	19973	31536	0	31536	123403	81811	205214	59.41
18	बीजापुर	65487	5714	8.73	1447	799	0	799	911	0	911	1.39
19	सरगुजा	178602	68537	38.37	23844	26621	2442	29063	28384	2770	31154	17.44
20	जशपुर	257051	35888	13.96	12721	11300	0	11300	13315	55	13370	5.20
21	बलरामपुर-रामानुजांज	177332	30380	17.13	9354	15909	0	15909	18673	135	18808	10.60
22	कोरिया	107814	32297	29.96	9590	12920	0	12920	15353	687	16040	14.88
23	सूजपुर	174087	16972	9.75	6213	6987	1164	8151	17843	3082	20925	12.02
24	बस्तर	175873	33533	19.07	10228	12537	9	12546	16959	14	16973	9.65
25	कौडागांव	144563	15424	10.67	1444	1237	0	1237	6973	0	6973	4.82
26	दंतेवाड़ा	99009	8588	8.67	1070	1106	0	1106	1314	0	1314	1.33
27	नारायणपुर	32040	4463	13.93	248	303	0	303	463	0	463	1.45
28	सुकमा	105905	13793	13.02	112	95	0	95	312	110	422	0.40
	योग	5540239	2139957	38.63	1181446	1286148	4369	1290517	1860586	370171	2230757	40.26

1. शासकीय स्रोतों से सिंचाई का प्रतिशत :- (सृजित सिंचाई क्षमता / कुल बोया गया रकबा) X 100
 $(2139957 / 5540239) \times 100 = 38.63\%$
2. समस्त स्रोतों से सिंचाई का प्रतिशत :- (कुल वास्तविक सिंचाई / कुल बोया गया रकबा) X 100
 $(2230757 / 5540239) \times 100 = 40.26\%$

विभाग के कार्यकलापों के प्रमुख मापक (Indices)



**सृजित सिंचाई क्षमता
लाख हेक्टेयर में**




**कुल वास्तविक सिंचाई
लाख हेक्टेयर में**

राज्य गठन के पश्चात निर्मित सिंचाई क्षमता में उत्तरोत्तर वर्षवार वृद्धि हुई है। वर्षवार सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि निम्नानुसार है :-

अवधि	निर्मित सिंचाई क्षमता (हे.में)	कुल निर्मित सिंचाईक्षमता (लाख हे.में)
01 नवंबर 2000	-	13.28
नवंबर 2000 से मार्च 2001	12000	13.40
अप्रैल 2001 से मार्च 2002	71000	14.11
अप्रैल 2002 से मार्च 2003	42000	14.53
अप्रैल 2003 से मार्च 2004	98000	15.51
अप्रैल 2004 से मार्च 2005	75000	16.26
अप्रैल 2005 से मार्च 2006	55000	16.81
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	41000	17.22
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	36000	17.58
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	13700	17.71
अप्रैल 2009 से मार्च 2010	17400	17.89
अप्रैल 2010 से मार्च 2011	20000	18.09
अप्रैल 2011 से मार्च 2012	35000	18.44
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	34000	18.78
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	26000	19.04
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	25000	19.29
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	22000	19.51
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	101000	20.52
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	26000	20.88
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	11000	20.99
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	22000	21.21
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	13000	21.34
अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक)	6000	21.40

सृजित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई (खरीफ)


(रकबा- लाख हेक्टेयर में)



हसदेव बैराज दर्रा (मिनीमाता बांगो परियोजना) के दांयी तट मुख्य नहर एवं बांयी तट मुख्य नहर से सिंचाई के साथ-साथ नगर निगम कोरबा, छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल एवं एन.टी.पी.सी. कोरबा, सहित अन्य सस्थानों को जल प्रदाय कर परियोजना से शासन को प्रतिवर्ष लगभग रू. 375 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है।

सृजित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध वास्तविक सिंचाई (खरीफ एवं रबी)

(रकबा- लाख हेक्टेयर में)



माननीय मंत्री जी, जल संसाधन नदी उत्सव के अवसर पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए।



भंवराकछार एनीकट योजना, जिला - मुंगेली

- ग्रीष्मकाल में सिंचाई योजनाओं से प्रदेश के 2788 ग्रामों के 4861 तालाबों को भरा गया है। जिनसे ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में जन सामान्य तथा पशुधन की निस्तारी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है।



भरारी व्यपवर्तन योजना (जिला-बिलासपुर) की नहर में चैनल निर्माण कार्य

भाग - 5

विभागीय बजट एवं राजस्व

5.1 वर्ष 2021-22 हेतु बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2021-22 के विभागीय बजट में रु. 2866.50 करोड़ की राशि का प्रावधान है।

(राशि रुपये करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	बजट प्रावधान वर्ष 2021-22	बजट प्रावधान वर्ष 2022-23 विभाग द्वारा प्रस्तावित	बजट प्रावधान वर्ष 2022-23 वित्त विभाग द्वारा मान्य	रिमार्क
जल संसाधन विभाग					
I	राजस्व अनुभाग	690.80	739.48	674.00	
II	पूंजी अनुभाग	2175.70	3154.64	2371.97	
योग		2866.50	3894.12	3045.97	

5.2 आदिवासी उपयोजना

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं शामिल की जाती हैं, जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों का कम से कम 50% क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सके।

वर्ष 2021-22 में पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट प्रावधान राशि रु. 2175.70 करोड़ में से आदिवासी उपयोजना मद में राशि रु. 577.92 करोड़ का बजट प्रावधान है, जो कि कुल पूंजी अन्तर्गत विभागीय बजट का 26.56% है। इस उपयोजना में दिसंबर 2021 तक कुल रु. 149.08 करोड़ व्यय हुआ है।

5.3 अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत, ऐसी योजनाएं शामिल की जाती है जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों एवं अनुसूचित जाति के कृषकों का कम से कम 50% क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो सके।

वर्ष 2021-22 में कुल पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट प्रावधान राशि रु. 2175.70 करोड़ में से अनुसूचित जाति उपयोजना मद के अंतर्गत राशि रु. 147.82 करोड़ का बजट प्रावधान है, जो कि कुल पूंजी अनुभाग अंतर्गत विभागीय बजट का 6.79% है। इस उपयोजना में दिसंबर 2021 तक कुल रु. 27.30 करोड़ व्यय हुआ है।

5.4 वर्षवार आबंटन एवं व्यय की राशि -

विगत 8 वर्षों में विभाग को आबंटित बजट एवं व्यय का विवरण अग्रानुसार है :-

विभाग के कार्यकलापों के प्रमुख मापक

(राशि रुपये करोड़ में)



5.5 सिंचाई राजस्व- लक्ष्य एवं उपलब्धियां

विभाग सिंचाई योजनाओं से कृषि प्रयोजन, नगरीय निकायों को पेयजल, निस्तारी, औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं को जल उपलब्ध कराता है।

5.5.1 कृषि प्रयोजन -

15 जून, 1999 से संपूर्ण राज्य में विद्यमान एवं प्रस्तावित सभी तालाबों, नहरों इत्यादि से कृषि हेतु जल प्रदाय के लिये निम्नलिखित तालिका के स्तंभ में वर्णित सभी फसलों के लिए उनके सम्मुख स्तंभ तीन के अनुसार जल दर लागू है।

छत्तीसगढ़ में सिंचाई योजनाओं से कृषि जल प्रदाय की जल दर तालिका (प्रवाह एवं उद्वहन सिंचाई)		
स.क्र.	फसलों के नाम	जल दर रुपये प्रति एकड़ में
(1)	(2)	(3)
1.	धान-खरीफ	81
	धान-रबी	200
2.	गेहूं	
	(1) पलेवा सहित अधिकतम तीन पानी	81
	(2) प्रत्येक अतिरिक्त पानी	25
3.	केला, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	300
4.	हरी घांस वाली फसलें, मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूंग(खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल्ली, अरहर (खरीफ), उड़द	50

5.	धनिया, चना, मूंगफली (रबी), मूंग (रबी), सरसों, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन (रबी), अरहर (रबी)	100
6.	कपास – साधारण	70
	हायब्रीड (विपुल)	150
7.	जौ, बैंगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुंइया, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिंडी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तंबाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियाँ	200
8.	वर्सिम घास (फाडर क्राप)	150
9.	जमीन की तैयार करने के लिये पानी (पलेवा)	40

टीप :- सिंचाई अधिनियम 1931 की जलदर अनुसूचि की धारा 100 के अंतर्गत घ (1) के तहत रु. 10.00 प्रति एकड़ की दर से उपकर लिये जाने का प्रावधान है।

5.5.2 पेयजल एवं निस्तारी

नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को घरेलु उपयोग के लिए विभाग द्वारा निर्मित जल स्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की गई है। यह दर दिनांक 01.04.2000 से प्रभावशील है। इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे की वृद्धि होती है। इस प्रकार वर्तमान में (दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक) रु. 0.62/घनमीटर की पेयजल दर प्रचलित है। प्रदेश में 67 नगरीय स्थानीय निकायों एवं 07 ग्रामीण समूहों को पेयजल हेतु विभिन्न संरचनाओं से 379.93 मिलियन घन मीटर जल आबंटित है। जिससे वर्तमान में प्रचलित पेयजल-दर अनुसार कुल रु. 23.56 करोड़ के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

5.5.3 औद्योगिक प्रयोजन

राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3483/7-ए/जसं./तशा/ डी-4/औजप्र/01, दिनांक 21.10.2020 द्वारा निम्नलिखित जल दर प्रभावशील है :-

स.क्र.	उपयोग का प्रकार	विशेष विवरण	जल-दर	टीप	
1	2	3	4	5	
1	औद्योगिक प्रयोजन/ ताप विद्युत प्रयोजन	अ	शासकीय स्रोत से :-		
		1	बांध/जलाशय/बैराज/ एनीकट आदि से		
		(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रु. 10.50 प्रति घ.मी.	—
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रु. 10.50 प्रति घ.मी.	—
		2	नहर प्रणाली से	रु. 12.25 प्रति घ.मी.	—

		ब	नैसर्गिक स्रोत से :-	
		(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से ...	रु. 5.00 प्रति घ.मी. —
		(ii)	भू-जल से	रु. 10.00 प्रति घ.मी. इस जल-दर पर प्राप्त जल-कर की शत प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित "भू-जल संरक्षण कोष" में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा।
		स	स्वनिर्मित स्रोत से	रु. 3.50 प्रति घ.मी. —
2	ऐसे उद्योग (जैसे-कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर, शराब आदि) जो जल का उपयोग कच्चे माल (Raw Material) के रूप में करते हैं	अ	शासकीय स्रोत :-	
		1	बांध/जलाशय/बैरॉज/ एनीकट आदि से	इन जल-दरों पर प्राप्त जल-कर की शत प्रतिशत राशि, पृथक से निर्मित "भू-जल संरक्षण कोष" में जमा की जाए। इस कोष की राशि का उपयोग भू-जल संवर्धन (Recharging) आदि में किया जायेगा।
		(i)	शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना से ...	रु. 200.00 प्रति घ.मी.
		(ii)	संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से	रु. 200.00 प्रति घ.मी.
		2	नहर प्रणाली से	रु. 200.00 प्रति घ.मी.
		ब	नैसर्गिक स्रोत से :-	
		(i)	नदी/नाले आदि के बहाव से	रु. 100.00 प्रति घ.मी.
		(ii)	भू-जल से	रु. 250.00 प्रति घ.मी.
		स	स्वनिर्मित स्रोत से	रु. 80.00 प्रति घ.मी. —
3	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात पुनः प्राप्ति)	अ	शासकीय स्रोत :-	
		1	बांध/जलाशय/बैराज/ एनीकट आदि से	रु. 1.07 (एक रु. सात पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जस
(क)	25 मे.वा. से अधिक क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना	2	नहर प्रणाली से	रु. 1.25 (एक रु. पच्चीस पैसे)/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उत्पादन पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जस
		ब	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से	रु. 0.35 (पैतीस पैसे)/वि.ई.उ. पर
(ख)	25 मे.वा. या उससे कम क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनायें		शासकीय/नैसर्गिक/स्वनिर्मित आदि विभिन्न स्रोत से	रु. 0.06 (छः पैसे)

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दरें, इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि (दिनांक 21.10.2020) से प्रभावशील रहेंगी।
3. जल दरों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
4. औद्योगिक जल-दर निर्धारण संबंधी पूर्व की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 की तालिका के स.क्र. -1, अ-1 (ii) "विशेष विवरण" अंतर्गत उल्लेखित "संस्थानों की अग्रिम जल-कर की राशि से निर्मित जल संग्रहण संरचना से" की श्रेणी को विलोपित किया गया है। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व से ही जिन संस्थानों को जल आबंटित है, या जो जल उपयोग कर रहे हैं हेतु, शासन की अधिसूचना, दिनांक 24.02.2016 अनुसार इस श्रेणी हेतु निर्धारित जल-दर रु. 5.50/घ.मी. ही लागू रहेगी एवं इसका लाभ उन्हीं संस्थानों को प्राप्त होगा जिनके द्वारा, उनके हिस्से की निर्माण राशि एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि का ब्याज सहित पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभाग में जमा अग्रिम जल-कर की राशि का, संस्थान द्वारा जल उपयोग प्रारंभ करने के पश्चात् नियमानुसार देय जल-कर की राशि में समायोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् संबंधित प्रकरण में, इस अधिसूचना की तालिका के स.क्र.-1, कॉलम क्रमांक-3 के बिन्दु क्र.-1 (i) "शासकीय मद से निर्मित जल संग्रहण संरचना" अंतर्गत कॉलम क्रमांक-4 में प्रस्तावित जल-दर रु. 10.50 प्रति घन मीटर अथवा तत्समय में प्रचलित जलदर लागू होंगी।

5.5.4 उपलब्ध जल का समुचित उपयोग

विभाग द्वारा सिंचाई एवं पेयजल के अतिरिक्त निस्तारी तालाबों में भी नहरों द्वारा प्रतिवर्ष जल प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2021 में भी 2788 ग्रामों के 4861 तालाबों को निस्तार हेतु जल प्रदाय किया गया। विकासशील नवा रायपुर शहरी क्षेत्र में वर्ष 2040 तक पेयजल की सुविधा के दृष्टिगत ग्राम टीला तथा ग्राम रावर के समीप महानदी पर दो एनीकट का निर्माण किया गया है।

विभाग की निर्मित मिनीमाता (हसदेव) बांगो जलाशय परियोजना (कोरबा), रविशंकर सागर जलाशय परियोजना (धमतरी) एवं सिकासार जलाशय परियोजना (गरियाबंद) में क्रमशः 120, 10 एवं 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिससे लाखों टन कोयले की बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में एन.टी.पी.सी. एवं राज्य विद्युत मण्डल के ताप विद्युत गृहों, निजी ताप विद्युत संयंत्रों, बड़े उद्योगों तथा बाल्को इत्यादि 164 संयंत्रों को 2238.651 मि.घ.मी. जल आबंटित है। इन संयंत्रों से 62217.15 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, जिससे शासन को राशि रु. 2264.36 करोड़ वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

5.5.5 वर्ष 2003-04 से वर्ष 2021-22 तक सिंचाई, उद्योग, पेयजल आदि से राजस्व वसूली के आंकड़े

राशि रु. लाख में

स. क्र.	वर्ष	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अवशेष राशि	चालू वर्ष की मांग राशि	कुल राशि (3+4)	वसूली			शेष राशि (5-8)
					अवशेष राशि	चालू मांग से	कुल वसूली (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2003-04	9994.05	6080.58	16074.63	1919.89	2975.74	4895.63	11179.00
2	2004-05	11179.00	6357.66	17536.66	1058.88	4485.14	5544.02	11992.64
3	2005-06	11992.64	5064.28	17056.92	878.38	3469.69	4348.07	12708.85
4	2006-07	12708.85	10293.90	23002.75	3619.13	7461.48	11080.61	11922.14
5	2007-08	11922.14	11519.33	23441.47	1987.65	9632.45	11620.10	11821.37
6	2008-09	11821.37	13111.68	24933.05	1310.51	11998.27	13308.78	11624.27
7	2009-10	11624.27	76932.49	88556.76	855.29	46736.99	47592.28	40964.48
8	2010-11	40964.48	109480.14	150444.62	1313.91	63831.59	65145.50	85299.12
9	2011-12	85299.12	33392.98	118692.10	3019.17	51089.13	54108.30	64583.80
10	2012-13	64583.80	63280.63	127864.43	5151.80	53866.86	59018.66	68845.77
11	2013-14	68845.77	77140.82	145986.59	3136.79	78513.36	81650.15	64336.44
12	2014-15	64336.44	91338.59	155675.03	3045.74	58774.42	61820.16	93854.87
13	2015-16	93854.87	64229.83	158084.70	8520.84	56361.24	64882.08	93202.62
14	2016-17	93202.62	151335.30	244537.92	5225.92	56410.48	61636.40	182901.52
15	2017-18	182901.52	94669.75	277571.00	9698.70	55766.01	65464.71	212106.56
16	2018-19	212106.56	85764.47	297871.03	15308.59	51460.81	66769.40	231101.63
17	2019-20	207039.97	85584.17	292624.14	10293.51	50808.49	61102.00	231522.14
18	2020-21	255071.58	108788.99	363860.57	10656.23	60486.72	71142.95	292717.62
19	2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	264779.22	88719.31	353498.52	8497.22	39164.05	47661.27	305837.25

भाग - 6

अभिनव कार्य योजना

6.1 सिंचित क्षेत्र होगा दोगुना

वर्तमान में निर्मित योजनाओं से वास्तविक सिंचाई लगभग 13.00 लाख हेक्टेयर से अधिक नहीं हो पाती है। इस 9 लाख हेक्टेयर की कमी और 5 वर्षों में 2.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता विकसित कर तथा खुली नहरों के स्थान पर भूमिगत पाईप लाईन से सिंचाई कर दक्षता में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

वर्ष 2021-22 में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की कार्य योजना

1	नवीन योजनाओं से।	—	5000 हेक्टेयर
2	निर्माणाधीन योजनाओं से।	—	35000 हेक्टेयर
3	निर्मित योजनाओं में सृजित क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई के अंतर को कम करने का प्रस्ताव।	—	106000 हेक्टेयर
4	निर्मित योजनाओं में मनरेगा एवं विभागीय मद अभिषरण से काडा नाली निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि।	—	32000 हेक्टेयर
5	मनरेगा आदि मद से निर्मित योजनाओं में सिंचाई क्षमता में वृद्धि।	—	22000 हेक्टेयर
कुल :-		-	200000 हेक्टेयर

इस तरह 05 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जायेगा। इस वर्ष अब तक सिंचाई संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं जीर्ण योजनाओं के जीर्णोद्धार द्वारा 12407 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का पुनर्स्थापन तथा 12,86,148 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई उपलब्ध करायी गयी है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक कुल 184 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है जिनसे 37459 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार/पुनर्स्थापन प्रस्तावित है।

वर्ष 2021-22 में नवीन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति

(दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में)
(राशि लाख रु. में)

स. क्र.	विभाग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की संख्या एवं राशि		प्रस्तावित सिंचाई (हे. में)
		संख्या	राशि	
1	जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़	184	64576.64	37459



माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक



अरपा नदी पर निर्मित लछनपुर व्यपवर्तन योजना, जिला - बिलासपुर

6.2 काडा नाली का निर्माण (मनरेगा एवं विभागीय मद के अभिसरण से)

- निर्मित योजनाओं से वास्तविक सिंचाई में हो रही कमी को दूर करने हेतु मनरेगा एवं विभागीय मद के अभिसरण से काडा नाली निर्माण से सिंचाई क्षमता में वृद्धि की भी कार्य योजना है।
- यह कार्य काडा नाली निर्माण (CAD Work) एवं मनरेगा मद से कराया जाएगा। प्रदेश के सभी 28 जिलों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु लगभग 32000 हेक्टेयर क्षेत्र में काडा नाली निर्माण का लक्ष्य है। इसी तरह आने वाले वर्षों में लगभग 2,00,000 हेक्टेयर में क्षमता वृद्धि (Restore) करने का लक्ष्य है।
- इसके अतिरिक्त सिंचाई जलाशयों से प्रतिवर्ष निस्तारी हेतु तालाबों को भरे जाने हेतु स्थायी विकल्प के तहत काडा नालियों का निर्माण करने का लक्ष्य है।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन के दृष्टिगत नहर से निस्तारी तालाबों तक काडा नाली निर्माण किया जाना है। जहाँ काडा नाली पूर्व से निर्मित है, वहाँ काडा नाली से निस्तारी तालाबों को जोड़ा जावेगा, ताकि जल का अपव्यय रोककर उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके।

आगामी 02 वर्षों में काडा नालियों का निर्माण कर निस्तारी तालाबों को जोड़ने का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 500 मि.घ.मी. प्रतिवर्ष जल की बचत होगी। इस बचत जल का उपयोग अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में होगा।

6.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य की 03 योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

6.3.1 केलो वृहद सिंचाई परियोजना :-

वर्ष 2008-09 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल योजना की लागत रुपये 598.91 करोड़ एवं 22810 हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है। योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु रु. 972.22 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया है। केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक रुपये 78.093 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। योजना पर 11/2021 तक कुल रुपये 671.38 करोड़ व्यय कर 17105 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की गई। योजना का शीर्ष कार्य 99 प्रतिशत एवं नहर कार्य 80.50 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, कार्य प्रगति पर है। योजना को जून 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष इस योजना से 5843 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई भी उपलब्ध करायी गयी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत स्वीकृत CAD&WM कार्य की लागत रुपये 81.21 करोड़ शामिल है। इन कार्यों हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6.3.2 खारंग वृहद सिंचाई परियोजना :-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 8300 हेक्टेयर क्षेत्र में CAD&WM कार्य प्रस्तावित है। जिसकी लागत रुपये 33.18 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कार्य की

प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 33.06 करोड़ की प्रदान की जा चुकी है। इस कार्य हेतु रूपये 27.05 करोड़ की आमंत्रित निविदाओं में 2 ग्रुप राशि रूपये 8.17 करोड़ एवं 11.11 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है तथा तीसरे ग्रुप की निविदा शासन द्वारा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु कहा गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। प्रथम ग्रुप में ठेकेदार मेसर्स एम.बी. कंस्ट्रक्शन द्वारा सर्वेक्षण उपरांत ड्राइंग अनुमोदित कराकर कार्य किया जा रहा है, जो कि अक्टूबर 2021 तक लगभग 85 प्रतिशत भौतिक तथा लगभग 80 प्रतिशत वित्तीय रूप से पूर्ण किया जा चुका है। दूसरे ग्रुप के ठेकेदार मेसर्स आर.पी.जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा सर्वेक्षण उपरांत ड्राइंग अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।



खारंग वृहद सिंचाई परियोजना में कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के तहत खेत की मेढ़ के अंदर अण्डर ग्राउंड पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई कर 30% जल की बचत

6.4.3 मनियारी सिंचाई परियोजना :-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 11515 हेक्टेयर क्षेत्र में CAD&WM कार्य प्रस्तावित है। जिसकी लागत रूपये 45.37 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 45.93 करोड़ की प्रदान की जा चुकी है। इस कार्य हेतु रूपये 38.83 करोड़ का 4 समूहों में आमंत्रित निविदाओं में से तीन ग्रुप क्रमशः राशि रूपये 9.45 करोड़, रूपये 11.01 करोड़ व रूपये 11.00 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गये हैं तथा चौथे ग्रुप की निविदा शासन द्वारा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु कहा गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। प्रथम तीन ग्रुप में दो समूह का ड्राइंग एवं रूपांकन अनुमोदन किया जा चुका है एवं तीसरे समूह का सर्वेक्षण एवं रूपांकन का कार्य प्रगति पर है।

6.5 नाबार्ड पोषित योजनाएं :-

प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राज्यमद के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा नाबार्ड से वर्ष 1995-96 से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है। नाबार्ड अंतर्गत 19वें चरण तक के स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 20वें चरण से 27वें चरण तक कुल 164 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 77 योजनाओं को पूर्ण कर 1,44,690 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। नाबार्ड अंतर्गत 20वें चरण से 27वें चरण की चरणवार जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	चरण	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि			रूपांकित सिंचाई क्षमता (हे.)	सृजित सिंचाई क्षमता (हे.)	पूर्ण योजनाएं
			नाबार्ड अंश (रु.लाख)	राज्यांश (रु.लाख)	योग (रु.लाख)			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	20	21	68482.29	3892.87	72375.16	126555.19	54728.00	16
2	21	19	20580.33	1139.89	21720.22	43606.40	12879.00	13
3	22	19	18362.87	973.76	19336.63	237782.70	70496.00	15
4	23	17	17439.89	1209.15	18649.04	26317.64	2365.00	06
5	24	28	31712.03	2225.28	33937.31	35585.93	3283.00	12
6	25	32	21407.88	1102.02	22509.90	37873.45	908.00	13
7	26	21	11923.97	627.54	12551.51	16972.19	31.00	02
8	27	07	6336.03	333.48	6669.51	16751.00	0.00	00
योग		164	196245.29	11503.99	207749.28	541444.50	144690.00	77



तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का जीर्णोद्धार (नाबार्ड पोषित) जिला : बालोद

6.6 मिशन अमृत योजना :-

भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लागू मिशन अमृत (अटल शहरी नवीकरण एवं परिवर्तन मिशन) अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति छत्तीसगढ़ में लिए गये निर्णय अनुसार 6 नगर पालिक निगमों को विभाग की सिंचाई योजनाओं से पेयजल आबंटन/प्रदाय की स्वीकृति प्रदान की गई, जो निम्नानुसार है।

स.क्र.	नगर पालिक निगम	सिंचाई जलाशय/स्रोत	आबंटित जल की मात्रा (मि.घ.मी. वार्षिक)
1	राजनांदगांव	खरखरा जलाशय	23.00
2	जगदलपुर	इन्द्रावती नदी में निर्मित कुम्हरावण्ड एनीकट	17.42
3	अंबिकापुर	घुनघुट्टा जलाशय	6.57
4	बिलासपुर	खारंग जलाशय	31.00
5	रायगढ़	केलो वृहद सिंचाई परियोजना	18.00
6	कोरबा	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना	23.03

राज्य की वर्तमान एवं भविष्यत् पेयजल आवश्यकताएं :-

वर्ष 2020 की स्थिति में		वर्ष 2040 की स्थिति में		वर्ष 2051 की स्थिति में	
जनसख्या (करोड़ मे)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक	जनसख्या (करोड़ मे)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक	जनसख्या (करोड़ मे)	जल आवश्यकता (मि.घ.मी.) वार्षिक
2.94	677.206	4.63	1508.587	5.29	2093.786

छत्तीसगढ़ राज्य की जल-नीति के अनुसार पेयजल एवं निस्तार हेतु राज्य के निवासियों को जल उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिये जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित जल संग्रहण योजनाओं में लगभग 20 प्रतिशत जल आरक्षित रखा गया है। अतः सभी नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजनाओं को निकटतम जल स्रोतों से जल आबंटन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य शासन की मिशन अमृत योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर पेयजल हेतु प्राथमिकता के आधार पर जल आबंटन किया गया है।

6.7 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना-तृतीय चरण (2016-2024)

योजना का उद्देश्य जल संबंधी आंकड़ों की जानकारी सुदृढ़ करना है, जिससे कि जल नीति निर्धारक एवं जल स्रोत संरक्षण करने वाले विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में की जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन की योजनाओं और उसका संचालन करने के लिये देश व्यापी डाटाबेस तैयार करना एवं ज्ञानसंवर्धन तथा आधुनिकीकरण करना है। इसके अंतर्गत रियल टाईम डाटा के आधार पर जल प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण का कार्य विभिन्न वैज्ञानिक मॉड्यूल के आधार पर किया जाना है। परियोजना का द्वितीय चरण मई-2014 में पूर्ण कर लिया गया था।

परियोजना के तृतीय चरण हेतु भारत सरकार, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली एवं छ.ग. शासन के मध्य अनुबंध हुआ है। योजना की पुनरीक्षित लागत रु. 38.18 करोड़ है। भारत सरकार द्वारा योजना हेतु शतप्रतिशत राशि प्रदान की जावेगी। योजना अंतर्गत अब तक रु. 8.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। योजनागत कार्य प्रगति पर है।

Real Time Data Acquisition System (RTDAS) के अंतर्गत 129 स्थलों के वर्षामापन, 28 नदियों एवं 39 जलाशयों में जल मापन तथा 6 स्थलों में मौसम के आंकड़ों के मापन हेतु स्वचालित उपकरण की स्थापना की जा रही है। Ground Water मापन कार्य हेतु 97 पीजोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 190 स्वचालित Digital Water Level Recorder (DWLR) Telemetry की स्थापना का कार्य किया जाना प्रक्रियाधीन है। राज्य के 24 प्रमुख बांधों का Sedimentation Survey का कार्य प्रगति पर है। श्री डी. गननसुन्दर, सीनियर ज्वायन्ट कमिश्नर नेशनल हाइड्रोलोजी परियोजना, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/12/2021 को स्टेट डाटा सेंटर रायपुर में कार्यों की समीक्षा की गई एवं कोडार बांध स्थल में RTDAS के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे स्वचालित उपकरणों का स्थल निरीक्षण किया गया। परियोजना के अंतर्गत "Hydrological Modeling for Water Resources Management" [National Institute of Hydrology] Roorkee के वैज्ञानिकों द्वारा दिसम्बर 2021 में विभाग के अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। श्री अन्बलगन पी., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन में उपस्थित होकर मार्गदर्शन दिया गया।



श्री अन्बलगन पी., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन अवसर पर मार्गदर्शन



श्री डी. गननसुन्दर, SJC NHP द्वारा कोडार बांध स्थल में RTDAS के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे स्वचालित उपकरणों का स्थल निरीक्षण



प्रशिक्षण में उपस्थित विभागीय अभियंतागण

6.8 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा सिंचाई क्षमता के पुर्नस्थापन हेतु वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 28 जिलों में वर्तमान में कुल 1251 कार्य स्वीकृत हुये हैं। जिनकी लागत रु. 216 करोड़ है, जिसके विरुद्ध कुल 372 कार्य पूर्ण किए गए एवं 879 कार्य प्रगतिरत है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु जल संसाधन से संबंधित इन छोटी-छोटी आंशिक योजनाओं की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तकनीकी मार्गदर्शन व देखरेख जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। कार्य से संबंधित समस्त प्रतिवेदन मैदानी अमले द्वारा सीधे संबंधित कलेक्टर को दिये जाते हैं। विकास आयुक्त, पंचायत विभाग इन कार्यों के राज्य स्तरीय प्रमुख हैं।

6.9 सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना :-

प्रदेश की विभिन्न नदियों/नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई हैं। उपलब्ध जल का समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग के लिये सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनाई गई है।

6.10 सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं से सिंचाई एवं जल संवर्धन का कार्य :-

- योजनाओं से कम पानी से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई होगी तथा खाद की भी बचत होगी एवं बचत जल से असिंचित क्षेत्र में भी सिंचाई की जा सकेगी ।
- लाभान्वित फसल — खरीफ, रबी
- कुल स्वीकृत योजनाएं — 33 (14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है)
कुल प्रस्तावित सिंचाई — 10587 हेक्टेयर
- कुल प्रस्तावित योजनाएं — 132
- सूक्ष्म एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में कृषकों का संगठन (F.P.O.) बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ और फसल की संगठित खेती और मूल्य उन्हें प्राप्त हो सके ।

कमाण्ड क्षेत्र में हार्टिकल्चर विभाग से बाड़ी योजना अंतर्गत अभिसारण होकर बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है । हार्टिकल्चर विभाग से इस बिन्दु पर समन्वय की अपेक्षा रहेगी ।



सौर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति



धामनसरा-मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना जिला-राजनांदगांव : सौर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति संयंत्र

6.11 नदियों का संरक्षण एवं संवर्धन

विश्व में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहे विपरीत प्रभाव के दृष्टिगत नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शासन प्रयासरत है। प्रदेश की 05 प्रमुख नदियों शिवनाथ, हसदेव, महानदी, केलो तथा खारून में कुछ प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गयी है जिसके लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर वन, उद्योग तथा नगरीय निकाय विभागों से समन्वय कर कार्य किया जा रहा है। अरपा नदी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिलासपुर जिले में पचरीघाट बैराज परियोजना एवं शिवघाट बैराज परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं 20 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

6.12 भूमिगत पाईप लाईन द्वारा सिंचाई

प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन एवं एनीकट हैं। वर्तमान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। वर्ष 2013 से लागू नये भू-अर्जन अधिनियम में मुआवजा दर में वृद्धि के कारण नहर निर्माण की लागत अधिक आ रही है। इसके दृष्टिगत भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से सिंचाई किये जाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना से बहुत कम भू-अर्जन की आवश्यकता होगी एवं योजना की लागत में कमी के साथ रखरखाव एवं मरम्मत की लागत में भी कमी आयेगी। इस विषय पर अरपा भैंसाझार परियोजना का अध्ययन किया गया, जिसमें भू-अर्जन सहित नहर निर्माण की लागत पाईप लाईन की लागत से अधिक आई है।



सोंदूर जलाशय वृहद सिंचाई परियोजना, जिला-धमतरी

भाग - 7

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)

राज्य के विकास में जल संसाधनों का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान हैं। जल के बिना कृषि विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। समग्र आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं विकास की प्रक्रिया में हितग्राहियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो। सिंचाई जल प्रबंधन में कृषकों की सक्रिय भागीदारी कृषक संगठनों के माध्यम से संभव है।



सैच्य क्षेत्र के कृषकों की जागरूकता हेतु कार्यशाला

इसी उद्देश्य से सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 के तहत 9 फरवरी 2007 में चुनाव करा कर 1324 जल उपभोक्ता संथाओं का गठन किया गया था। इन संथाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अनिवार्य प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा राजस्व वसूली आदि वित्तीय अधिकार देकर इन संथाओं को स्वावलंबी बनाया गया। जल उपभोक्ता संथाओं को तकनीकी परामर्श जल संसाधन विभाग द्वारा दिया जाता रहा है। वर्तमान में जल उपभोक्ता संथाओं का कार्यकाल पूरा हो गया है तथा उनमें संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रभावशील है। नवीन जल उपभोक्ता संथाओं के गठन एवं चुनाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पारदर्शी निविदा आमंत्रण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली

8.1 निविदा आमंत्रण की पद्धति :-

विभाग में पारदर्शिता एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हेतु निविदा आमंत्रण के लिये इलेक्ट्रानिक प्रोक्यूरमेंट पद्धति से निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं। विभाग में प्रभावी वित्तीय नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिये जुलाई 2012 से आनलाईन ई-वर्क्स पर बजट आबंटन तथा चेक मुद्रण आदि कार्य प्रारंभ किये जाने से अनुबंधित कार्यों पर स्वीकृति/उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही भुगतान हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.01.2014 से एकल पंजीयन व्यवस्था पद्धति द्वारा लोक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी बनाने के फलस्वरूप ठेकेदारों का पंजीयन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है एवं पंजीकृत ठेकेदारों को यूनिफ़ाइड आई.डी. ऑनलाईन प्रदान किया जाता है। जनवरी 2018 से विभागीय निविदाओं का संचालन प्रमुख अभियंता कार्यालय के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है।

8.2 विभाग में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) :-

- 8.2.1 विभाग में कार्यरत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यपालिक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के सम्पूर्ण Bio Data का संकलन HRM Module के अंतर्गत किया जा रहा है। इस Module का उपयोग आगामी पदक्रम सूची तैयार करने तथा स्थानांतरण हेतु किया जा सकेगा।
- 8.2.2 विभाग की निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी त्वरित गति से प्राप्त करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिये Progress Monitoring Module (PROMON) के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी का संकलन किया जा रहा है। यह Module निर्माणाधीन कार्यों में आने वाली रुकावटों को केन्द्रित करने तथा आवश्यक बजट की उपलब्धि को सुनिश्चित करने एवं उन पर त्वरित निर्णय लेने में उच्चाधिकारियों के लिये सहायक है। विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019-20 से Promon Module को Deposit Work (जमा कार्यों) के लिए भी परिष्कृत कर संचालन किया जा रहा है।
- 8.2.3 विभाग की निर्मित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा निर्मित योजनाओं से वास्तविक सिंचाई की समीक्षा के लिये WR Module के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी का संकलन किया जा रहा है। यह Module निर्मित योजनाओं द्वारा उनकी क्षमता अनुसार सिंचाई न कर पाने वाली दिक्कतों को केन्द्रित करने तथा उन पर त्वरित निर्णय लेने में उच्चाधिकारियों के लिये सहायक है। विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।
- 8.2.4 राज्य में निर्मित जलाशयों में जल भराव के आंकड़ों की जानकारी पत्र वाहक अथवा दूरभाष के माध्यम से उच्च कार्यालयों में प्रेषित की जाती रही है। इस कार्य को संपादित किये जाने में अत्याधिक समय लगता है। इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के सहयोग से

प्रदेश के जलाशयों में जल भराव की जानकारी तत्काल प्राप्त करने हेतु Real Time Application Software "नीरनिधी" तैयार कर जून 2016 से वृहद एवं मध्यम जलाशयों के जल भराव की जानकारी निरंतर संकलित की जा रही है। यह Software डेस्कटॉप कम्प्यूटर तथा एन्ड्रायड मोबाईल पर संचालित किया जा रहा है।

8.2.5 विभाग में विगत 5 वर्षों से एकीकृत PQ Certificate ऑनलाईन के माध्यम से सफलतापूर्वक बनाया जा रहा है। यह Certificate ठेकेदारों को उनके द्वारा पूर्व में निविदा अर्हता में लगने वाले समस्त दस्तावेज यथा IT Return किए गए कार्यों के भौतिक सर्टिफिकेट इत्यादि के स्थान पर एक Certificate Upload करने की सुविधा देता है।

8.3 गुणवत्ता प्रबंधन :-

चूंकि विभाग के सभी कार्य सार्वजनिक धन के उपयोग पर आधारित हैं। इसलिये यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संसाधनों का अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जावे। इस दृष्टि से विभाग द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये निर्माण तकनीक तथा गुणवत्ता प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं एवं देश में अन्यत्र आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि निर्माण कार्यों की देख रेख एवं संचालन में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। विभागीय निर्माण कार्यों की निविदाओं में निर्माण उपरांत 10 वर्षों के लिये रख-रखाव का उत्तरदायित्व भी ठेकेदार के लिये अनिवार्य शर्त रखी गयी है। इससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों के पालन के प्रति सजगता एवं जिम्मेदारी की भावना का सृजन हुआ है। ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण निर्माण करके सार्वजनिक धन के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग को न केवल सुनिश्चित करते हैं बल्कि एक लम्बी अवधि तक उनका रख रखाव भी करते हैं, जिसका सीधा लाभ जन सामान्य को प्राप्त होता है।

8.4 जल आबंटन प्रक्रिया/प्रणाली को ऑनलाईन किया जाना:-

Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) भारत शासन द्वारा Ease of doing Business 2017, हेतु कार्यवाही योग्य बिन्दुओं में से जल संसाधन विभाग से संबंधित जल आबंटन प्रक्रिया/प्रणाली को ऑनलाईन करते हुए दिनांक 04.12.2020 को अपरान्ह से सर्वर पर LIVE कर दिया गया है, जिसका URL www.cgwrdd.in है। उक्त URL के Water Allotment खण्ड पर Live किये गये software को access किया जा सकता है। प्राप्त दिशा-निर्देश एवं अन्य functionalities को समाहित करते हुए संशोधित software को भी दिनांक 17.12.2020 को विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस आनलाईन प्रणाली को उद्योगों के साथ-साथ, पेयजल हेतु एवं भू-जल उपयोग आदि समस्त प्रकार के जल आबंटन हेतु जल उपयोगकर्ता की सुविधा की दृष्टि से Live किया गया है। इस तरह राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों/पेयजल हेतु नगरीय निकायों को विभाग द्वारा त्वरित एवं Contactless जल आबंटन की सुविधा प्रदाय की जा रही है, जो औद्योगिक विकास के साथ-साथ राज्य के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी।



माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन द्वारा मोंगरा बैराज, जिला- राजनांदगांव का निरीक्षण



माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन, मोंगरा बैराज के संबंध में निर्देश देते हुये

भाग - 9

जल संसाधन विकास नीति-2022

जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों पर अपनी जीविका हेतु निर्भर है। राज्य के जल की मांग-पूर्ति वर्षा पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वर्षा में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नये राज्य के गठन के उपरांत बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और जीवनशैली में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस हेतु प्रभावी विधिक प्रावधानों की कमी अनुभव की जा रही है।

वर्तमान में प्रचलित अधिनियम निम्नानुसार है :-

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931

छत्तीसगढ़ सिंचाई नियम, 1974

उपरोक्त अधिनियम पुराने एवं अनुपयोगी हो चुके हैं। इनके प्रावधानों को सशोधित कर आज की आवश्यकता के अनुसार संवैधानिक रूप से कन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ जल संसाधन विकास नीति-2022 [Chhattisgarh Water Resources Development Policy-2022] तैयार की गई है, जिसका परिमार्जन प्रक्रियाधीन है।

इस नीति की सहायता से भू-जल के दोहन एवं जल प्रबंधन क्षेत्र में मिल रही अन्य संवैधानिक चुनौतियों से निपटा जा सकेगा।



श्री अन्बलगन पी., सचिव, जल संसाधन द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक

भाग - 10

जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन

- माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जन घोषणा पत्र में की गयी घोषणा के प्रतिपालन में 03.07.2019 को कृषि प्रयोजन अंतर्गत जलकर के रूप में कृषकों की वसूली योग्य बकाया राशि रू. 244.18 करोड़ को माफ करने की अधिसूचना जारी की गयी है, जिससे 17,05,450 कृषकों को लाभ पहुंचा है।
- छत्तीसगढ़ में पेयजल एवं सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए जल के समुचित उपयोग एवं जल संरचनाओं के हो रहे प्रदूषण को रोकने तथा जल संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ **जल संसाधन विकास नीति-2022** तैयार की गई है। नीति को लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- विभाग द्वारा लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान देकर आगामी 05 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र दोगुना करने हेतु कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 2.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचित रकबे में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।



भाग - 11

भविष्य की योजनाएं (Future Vision)

भविष्य की आवश्यकताओं के लिए नई परियोजनाओं का निर्माण (Future Vision) :-

जल संसाधन विभाग आने वाले समय में राज्य की बढ़ती हुई पेयजल एवं सिंचाई आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से महानदी जल विवाद के परिपेक्ष्य में राज्य के हिस्से के पानी के समुचित उपयोग के लिये भी भविष्य की योजनाओं के निर्माण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत नयी परियोजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन तथा क्रियान्वयन के लिये प्रयास जारी हैं। जिससे अब तक व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को, जल की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग कर राज्य की बेहतरी एवं समृद्धि के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वर्तमान में अब तक निम्न योजनाओं पर कार्य एवं मंथन विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है :-

- ❖ इन्द्रावती नदी पर बोधघाट वृहद परियोजना
- ❖ अहिरन-गाजरीनाला (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) जल संवर्धन योजना।
- ❖ छपराटोला फीडर जलाशय योजना।
- ❖ कुम्हारी जल आवर्धन योजना।
- ❖ पैरी-महानदी इंटरलिंगिंग योजना।
- ❖ शेखरपुर जलाशय परियोजना
- ❖ डांडपानी जलाशय परियोजना
- ❖ रेहर अटेम (जिंक) लिंक परियोजना
- ❖ मोंगरा-खरखरा जल संवर्धन (लिंक) योजना।
- ❖ आमामुड़ा जल आवर्धन योजना।



खारंग जलाशय वृहद परियोजना का वेस्ट वियर, जिला - बिलासपुर

बोधघाट बहुउद्देश्यीय वृहद परियोजना :-

गोदावरी कछार के अंतर्गत गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदी इन्द्रावती पर प्रस्तावित बोधघाट वृहद परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक महत्वकांक्षी योजना है। इन्द्रावती नदी राज्य में कुल 264 कि.मी. में प्रवाहित होती है। बोधघाट परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित जल उपयोग की मात्रा 155.911 टी.एम.सी. है। परियोजना की संभावित लागत रु. 22653 करोड़ है। योजना के निर्माण से दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 359 ग्रामों की 366580 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने के साथ ही लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी प्रस्तावित है। योजना के प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन (Pre Feasibility Report) पर केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। योजना के निर्माण से छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य अंचल के जनजीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आएगा और ग्रामीण आबादी की कृषि एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। योजना का डी.पी.आर. एवं सर्वे कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में शीर्ष कार्य का डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में 154 कि.मी. के मुख्य नहर एवं सुकमा जिले के 23000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना का डी.पी.आर. 06/2022 तक प्रस्तुत कर दिया जावेगा। तदुपरान्त निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।

अन्य योजनाएं :-

स. क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (राशि रु. करोड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5
1	खारंग अहिरन लिंक परियोजना	बिलासपुर	720.52	परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी. एफ.आई.सी.) से स्वीकृत/ बिलासपुर नगर के पेयजल हेतु प्रस्तावित।
2	छपराटोला फीडर जलाशय	बिलासपुर	968.56	परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी. एफ.आई.सी.) से स्वीकृत/ अरपा नदी के पुनर्जीवन एवं कोटा, बिलासपुर की जलीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	कुम्हारी जलाशय जल आवर्धन योजना	रायपुर	12.00	सिमगा क्षेत्र के 42 ग्रामों के सिंचाई हेतु। शासन द्वारा योजना की पुनः प्रशासकीय स्वीकृति रु. 11.62 करोड़ प्रदाय की जा चुकी है।
4	पैरी-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना	गरियाबंद	7479.08	औद्योगिक, जल एवं 09 नगरों के पेयजल आपूर्ति हेतु।

5	शेखरपुर बांध परियोजना	जशपुर	1080.05	वृहद परियोजना 22500 हेक्टेयर सिंचाई तथा पेयजल, निस्तारी तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।
6	डांडपानी बांध परियोजना	जशपुर	1235.21	वृहद परियोजना 38000 हेक्टेयर सिंचाई पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव होगी। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु रु. 1235.21 करोड़ का प्रस्ताव दिनांक 13.10.2021 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है।
7	रेहर अटेम (जिंक) लिंक परियोजना	सरगुजा	395.00	रेहर नदी से 100 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल का अंतरण किये जाने हेतु। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
8	मोंगरा-खरखरा जल संवर्धन (लिंक) योजना	राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद	72.00	क्षेत्रों में व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को, जल की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जावेगा।
9	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भू-जल घटक (PMKSY/HKKP)	बस्तर अंचल के सात आकांक्षी जिला	256.00	राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर अंचल के सात आकांक्षी जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भू-जल घटक अन्तर्गत 6868 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी। योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।



अन्तरराज्यीय जल विवाद (Inter State Water Disputes)

❖ छत्तीसगढ़ एवं ओड़िसा राज्य के मध्य महानदी जल विवाद के तहत मुख्य रूप से ओड़िसा द्वारा ग्रीष्मकाल में हीराकुण्ड बांध में जल की कमी का उल्लेख कर छत्तीसगढ़ से अधिक जल की मांग की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ का कहना है कि, हीराकुण्ड परियोजना की मूल आवधारणा एवं निर्धारित उपयोग का अतिक्रमण कर ओड़िसा द्वारा औद्योगिक प्रयोजन एवं सिंचाई के लिए अधिक जल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ उत्तरदायी नहीं है। इस विवाद के निराकरण हेतु दोनों राज्यों के बीच उच्चस्तरीय विभिन्न बैठक आयोजित कर समाधान करने की कोशिश की गई है। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महानदी जल विवाद प्राधिकरण (MWDT) का गठन तकनीकी कारणों से किया गया है तथा प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में MWDT द्वारा अब तक कुल 25 बैठके / सुनवाई की जा चुकी है। वर्तमान में MWDT के निर्देशानुसार ओड़िसा एवं छत्तीसगढ़ के संयुक्त दल द्वारा दोनों राज्यों की मुख्य जल संग्रहण परियोजनाओं के स्थल निरीक्षण किये गये हैं। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के 46 मुद्दों (Issues) का निर्धारण किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन हेतु सभी संबंधित विभागों के समन्वय से आँकड़ों का एकत्रीकरण किया जा रहा है, ताकि राज्य हितों का संरक्षण प्रभावी तरीके से किया जा सके।

❖ केन्द्रीय जल आयोग के निर्देशानुसार इन्द्रावती नदी की सहायक नदी जोरानाला पर कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाकर Lean Season में दोनों राज्यों को बराबर मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, परन्तु वर्तमान में राज्य को बराबर मात्रा में जल प्राप्त न होने के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण दायर करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



भाग - 13

विगत तीन वर्षों की उपलब्धियाँ

पेयजल एवं निस्तारी :-

जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल एवं निस्तारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विगत 03 वर्षों में प्रदेश में 18 नगरीय निकायों को पेयजल हेतु विभिन्न संरचनाओं से 46.879 मिलियन घन मी. जल आबंटन की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों के 4861 निस्तारी तालाबों को जल प्रदाय किया गया है।

सिंचाई जलकर माफी :-

माननीय मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 जनवरी 2019 को की गई घोषणा के परिपालन में कृषि प्रयोजन अंतर्गत जलकर के रूप में कृषकों की दिनांक 31.10.2018 की स्थिति में वसूली योग्य बकाया राशि रु. 244.18 करोड़ को माफ किया गया है, जिससे राज्य के 17,05,450 कृषकों को लाभ हुआ है। इसी प्रकार 3 मई 2021 को शासन द्वारा जारी अधिसूचनानुसार वर्ष 2018-19 की शेष जलकर राशि रु. 33.60 करोड़, वर्ष 2019-20 की जलकर राशि रु. 33.18 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 की जलकर राशि रु. 31.48 करोड़, इस प्रकार कुल 98.26 करोड़ रुपये का जलकर माफ किया गया है, जिससे राज्य के लगभग 17.07 लाख छोटे-बड़े कृषकों को लाभ हुआ है। इस प्रकार विगत 3 वर्षों में 342.44 करोड़ रुपये का जलकर माफ किया गया है।

राजस्व वसूली :-

वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्तियां रु. 654.65 करोड़ थी। वर्ष 2018-19 में कुल राजस्व प्राप्तियां रु. 667.70 करोड़, वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियां रु. 611.02 करोड़, वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्तियां 711.43 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में वर्ष 2021-22 में दिसम्बर 2021 तक 455.46 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई है, जो कोरोना संकट की दृष्टि से अच्छी स्थिति कही जा सकती है।

सिंचाई सर्वोच्च प्राथमिकता :-

राज्य शासन किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसी कड़ी में प्रदेश के सिंचित रकबे को अगले पाँच वर्षों में दुगुना करने की कार्य योजना बनायी गयी है। वर्ष 2017 में 9.68 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की गई थी, जिसे वर्ष 2018 में जहाँ औसत सिंचाई 11.16 लाख हेक्टेयर एवं वर्ष 2021 में जल संसाधनों के बेहतर व्यवस्थापन द्वारा लगभग 12.86 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया गया है। रबी सिंचाई के रकबे को भी वर्ष 2017-18 के 16000 हेक्टेयर से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 34854 हेक्टेयर, वर्ष 2019-20 में 78878 एवं वर्ष 2020-21 में 91995 हेक्टेयर किया गया है। यह आकड़े छत्तीसगढ़ निर्माण के उपरांत पिछले 21 वर्षों में सर्वाधिक है। इस वर्ष 2021-22 में 12.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई की गयी है एवं 1.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित कर जल प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार विभाग द्वारा सिंचाई संसाधनों के बेहतर जल प्रबंधन द्वारा सिंचाई सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है।

जल नीति :-

जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वर्षा में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं जल संसाधनों के दक्ष दोहन हेतु एक प्रभावी एवं व्यवहारिक “जल संसाधन विकास नीति-2022” तैयार की गई है, जिसके अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नदियों का संरक्षण एवं संवर्धन :-

विश्व में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप हो रहे विपरीत प्रभाव के दृष्टिगत प्रदेश में नदियों के किनारे वृक्षारोपण सहित जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में विगत 2 वर्षों में 18 लघु जलाशय एवं 30 एनीकट का निर्माण कर लगभग 10560 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई। विभिन्न नदी-नालों में 48 संरचनाएं निर्मित की गई, जिससे 1147 कि.मी. लंबाई में नदी-नालों का पुनरुत्थान हुआ है। उपरोक्त उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल वाटर एवार्ड 2019 अंतर्गत **नदी पुनर्जीवन श्रेणी** में देश भर में सर्वोत्कृष्ट जिले के रूप में **बिलासपुर जिले** को एवं **जल संरक्षण श्रेणी** में देश भर में सर्वोत्कृष्ट जिले के रूप में **सूरजपुर जिले** को पुरस्कृत किया गया है।

बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना (DRIP-II) :-

प्रदेश में निर्मित वृहद मध्यम योजनाएं सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिसम्पत्तिया हैं, जिनका समय-समय पर सुधार एवं पुनर्वास आवश्यक है। राज्य में निर्मित वृहद्, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित योजना DRIP (**Dam Rehabilitation & Improvement Project**) के अन्तर्गत राज्य के प्रमुख बांध सुरक्षा एवं बांधों के सुधार हेतु रू. 631.69 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं, जिसमें से DRIP-II योजना अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से बांध सुरक्षा/पुनर्वास हेतु मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) को रू. 81.12 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 8 कार्यों की रू. 55.72 करोड़ के निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों का DRIP-II के तहत विभागीय अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण

भाग - 14

कोविड-19 परिदृश्य में विभागीय गतिविधियाँ

निर्माणाधीन कार्य :-

कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के प्रगतिरत कार्यों के लगभग 900 अनुबंध, लागत रु. 1600 करोड़ के निर्माण कार्य बन्द होने के कारण प्रगति प्रभावित थी। शासन द्वारा विशेष निर्देश जारी कर सिंचाई योजनाओं को पुनः प्रारंभ किया गया है। इनसे प्रदेश में नये रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है। साथ ही सहायक आर्थिक गतिविधियाँ (वाहन, निर्माण सामग्री, पेट्रोल/डीजल इत्यादि) भी बढ़ रही है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल प्राप्त हो रहा है। इन कार्यों के संचालन में भी कोविड-19 संबंधी सावधानियों का ध्यान रखा जा रहा है।

रोजगार मूलक कार्य :-

मनरेगा अन्तर्गत जल संरक्षण के कार्यों को लिये जाने एवं सिंचाई योजनाओं के कार्य पृथक से लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं, तदनुसार सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए मनरेगा के कार्यों में भी सिंचाई संबंधी कार्यों को विभाग द्वारा लिया जा रहा है। वर्तमान में 879 कार्य जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं में मनरेगा अन्तर्गत प्रगतिरत हैं एवं 421 कार्य भविष्य के लिये प्रस्तावित हैं।

विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से जुलाई 2021 तक रायपुर ट्रेनिंग सेन्टर, रायपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने तथा कोविड गाईड लाईन में छूट प्राप्त होने पर अगस्त 2021 से प्रशिक्षणों का आयोजन कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए सीमित संख्या के बैच में प्रारम्भ किया गया।

अगस्त 2021 से दिसम्बर 2021 तक संस्थान द्वारा कुल 8 प्रशिक्षण सत्रों में कुल 271 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 22 सहायक अभियंता (सिविल), 67 उप-अभियंता (सिविल), 150 सहायक वर्ग-दो एवं सहायक वर्ग-3 तथा अन्य वर्ग के यथा अमीन, स्थल सहायक, बांध निरीक्षक आदि 25, इस तरह कुल 271 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए। आयोजित प्रशिक्षणों का विषयवार विवरण अग्रानुसार है—

स. क्र.	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण दिवस	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षित शासकीय सेवक	प्रशिक्षित शासकीय सेवकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	10/08/2021 to 14/08/2021	5	Mix Design for R.C.C. & P.C.C. work with Quality Control & Material Testing.	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	39
2	23/08/2020 to 28/08/2021	6	Mix Design for R.C.C. & P.C.C. work with Quality Control & Material Testing.	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	26
3	06-09-2021	1	Canal Lining	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	4
4	24/09/2021 to 25/09/2021	2	स्थापना संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण	सहायक वर्ग-2 एवं 3	68
5	29/09/2021 to 30/09/2021	2	लेखा संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण	सहायक वर्ग-2 एवं 3	82
6	06/10/2021 to 08/10/2021	3	Modern Survey Techniques, use of Total Station, Basic of GIS.	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	31
7	24/11/2021 to 26/11/2021	3	Modern Survey Techniques, use of Total Station, Basic of GIS.	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	14
8	20/12/2021 to 23/12/2021	3	Modern Survey Techniques, use of Total Station, Basic of GIS.	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	7
योग					271



रायपुर ट्रेनिंग सेन्टर में विभागीय अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना के शीर्ष कार्य का सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य योजना

मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना के शीर्ष कार्य का सुदृढ़ीकरण किये जाने की कार्य योजना तैयार करने विभागीय सचिव जल संसाधन, श्री अन्बलगन पी. ने परियोजना का स्थल निरीक्षण कर शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये।



सचिव, जल संसाधन, मिनीमाता (हसदेव) बांगो बांध स्थल में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुये



श्री अन्बलगन पी., सचिव, जल संसाधन का मिनीमाता (हसदेव) बांगो बांध में गैलरी का निरीक्षण

सफलता की कहानिया

1. आजादी का अमृत महोत्सव - नदी उत्सव 2021

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा महानदी पैरी और सोंदूर के पावन त्रिवेणी संगम पर राजिम में दिनांक 21 से 24 दिसंबर तक नदी उत्सव का आयोजन किया गया । आयोजन के प्रथम दिन उद्घाटन के अवसर पर मंगलवार 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे, अभनपुर विधायक माननीय श्री धनेंद्र साहू, राजिम विधायक माननीय श्री अमितेश शुक्ल, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता श्री इंद्रजीत उइके, गरियाबंद जिला के कलेक्टर श्री नीलेश क्षीरसागर, अन्य अभियंतागण, विभिन्न विभाग के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे । विभागीय सचिव श्री अन्बलगन द्वारा नदियों के माध्यम से जल संरक्षण के महत्व एवं इसमें जनसामान्य की भागीदारी का आवाहन किया गया ।



कृषि एवं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे द्वारा नदियों को माता मान कर पूजा करने के साथ नदियों के महत्व को अपनी संस्कृति में विशिष्ट मानते हुए छत्तीसगढ़ शासन की नरवा विकास योजना के माध्यम से जल संरक्षण के कार्यों की जानकारी के साथ विभिन्न नदियों में नरवा /स्टापडेम/एनीकट/बैराज बनाया जाकर सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने तथा बारहमासी प्रवाह की व्यवस्था के संकल्प को भी स्पष्ट किया । नदियों को बचाने के लिए सभी वर्गों के समन्वित प्रयास के लिए विचार विमर्श कर कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया ।

इस अवसर पर माननीय विधायकगण श्री धनेंद्र साहू एवं श्री अमितेश शुक्ल ने राजिम में महानदी, पैरी और सोंदूर के संगम का पौराणिक और धार्मिक महत्व बताते हुए नदियों के संरक्षण और सफाई की सतत आवश्यकता बताई ।

नदी उत्सव के दौरान कई कार्यक्रम यथा – वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ त्रिवेणी संगम पर दीपदान एवं गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित प्रदर्शनी, विभिन्न विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बीच “बिन पानी सब सून” विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, विभिन्न ग्राम पंचायतों में “ जल संरक्षण एवं नदी जल स्वच्छता” के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से परिचर्चा, अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पावन स्मरण कर जीवनी व परिचयात्मक जानकारी, छात्र-छात्राओं तथा जनसमुदाय की प्रभात फेरी एवं रैली, नदी तट पर स्वच्छता कार्यक्रम (श्रमदान) एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों छात्र-छात्राओं एवं सामान्य नागरिकों की सहभागिता देखने को मिली, जिससे आयोजन की सफलता स्पष्ट प्रमाणित होती है ।

2. तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का जीर्णोद्धार कार्य

बालोद जिले में स्थित तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर जामगांव (बी) नाला क्रासिंग पर निर्मित एक्वाडक्ट का निर्माण 109 वर्षों पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1912 में किया गया था । एक्वाडक्ट की लम्बाई 95 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर एवं ट्रफ की ऊँचाई 3.3 मीटर है । स्टोन मेशनरी से निर्मित उक्त एक्वाडक्ट अत्यधिक पुराना हो जाने के कारण कई जगह क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हो चुका था तथा मेशनरी ज्वाइंट से रूपांकित मात्रा में नहर में छोड़े गये पानी का रिसाव होने के कारण नाले में व्यर्थ बह जाता था, जिससे आगे के ग्रामों की सिंचाई हेतु जल उपलब्धता कम हो जाती थी । तांदुला जलाशय की मुख्य नहर से लगभग 508 ग्रामों की 100980 हेक्टेयर अनुबंधित खरीफ सिंचाई की जाती है, साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र को औद्योगिक जल प्रदाय तथा ग्रीष्मकाल में लगभग 1000 निस्तारी तालाबों को जल प्रदाय किया जाता है । नहर से समय-समय पर सतत जल प्रदाय की स्थिति को देखते हुए एक्वाडक्ट को तोड़कर नया स्ट्रक्चर निर्माण किये जाने के स्थान पर पूर्व निर्मित स्ट्रक्चर का जीर्णोद्धार किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे जल प्रदाय अवरूद्ध न हो ।

एक्वाडक्ट के प्रस्तावित मरम्मत कार्य में निम्नलिखित प्रमुख कार्य सम्मिलित करते हुये कार्यादेश दिनांक 26.10.2020 को जारी किया गया –

1. स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 2.50 मीटर गहरी कट ऑफ निर्माण ।
2. पूर्व निर्मित एक्वाडक्ट ट्रफ के भीतरी ओर से 25 से.मी. मोटाई में बेड एवं साईड वाल सहित आर.सी. सी. डक्ट का निर्माण कार्य ।
3. पूर्व निर्मित स्टोन मेशनरी ज्वाइंट का रैकिंग कर प्वाइंटिंग कार्य एवं पूर्व निर्मित स्टोन मेशनरी साईड वाल में आधुनिक तकनीक से केमिकल एवं सीमेंट ग्राउटिंग का कार्य ।

4. एक्वाडक्ट स्थल पर नहर के दोनों पार में क्रांक्र्रीट रोड़ का निर्माण कार्य ।
5. नाले के बेड में सी.सी. ब्लॉक का निर्माण कार्य ।

उपरोक्त अनुबंधित निर्माण कार्य दिनांक 23.09.2021 को पूर्ण किया गया । एक्वाडक्ट का उपरोक्त मरम्मत कार्य पूर्ण होने के परिणामस्वरूप स्ट्रक्चर से रूपांकित जल प्रवाह के अनुरूप जल प्रदाय किया जाना सुनिश्चित हुआ, जिससे कृषकों को निर्बाध जल आपूर्ति की जा पा रही है, साथ ही पूर्व निर्मित संरचना को सुदृढ़ कर उपयोग के अनुरूप बनाया जा सका ।



तांदुला जलाशय की मुख्य नहर के आर.डी. 7500 मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का जीर्णोद्धार

3. लीलागर सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, मल्हार वि.ख. मस्तूरी, जिला बिलासपुर

बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखण्ड के नगर पंचायत मल्हार एवं जांजगीर- चांपा जिले के विकासखण्ड पामगढ के ग्राम मानाडेरा के बीच लीलागर नदी पर निर्मित लीलागर एनीकट में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया। जिसके दांयी तट में नगर पंचायत मल्हार की 40 हेक्टेयर भूमि एवं बांयी तट में ग्राम मानाडेरा की 20 हेक्टेयर भूमि में सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना का निर्माण किया गया है।

सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना से नगर पंचायत मल्हार के 162 कृषकों द्वारा 40 हेक्टेयर एवं ग्राम मानाडेरा के 69 कृषकों द्वारा 20 हेक्टेयर में खरीफ फसल (धान) की सिंचाई पिछले दो बार किया गया एवं पिछले रबी में मल्हार के 14 कृषकों द्वारा 32.50 एकड़ में रबी (सब्जियों) की फसल ली गई तथा ग्राम मानाडेरा के 6 कृषकों द्वारा 16 एकड़ में रबी (सब्जियों) की फसल ली गयी।



मल्हार के प्रगतिशील कृषक ने मई के प्रथम सप्ताह में इस योजना से 1.25 एकड़ क्षेत्र में लौकी तथा 1.25 एकड़ क्षेत्र में डोड़का की फसल लगायी, जिसमें उनको कुल रु. 2 x 60000/- = रु. 1.20 लाख लागत आयी। फसल का उत्पादन जून द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ होकर अगस्त माह तक होता रहा। कृषक द्वारा इन तीन माह में कुल रु. 2.10 लाख की लौकी तथा रु. 1.60 लाख के डोड़का का विक्रय किया गया। इस तरह कुल रु. 3.70 लाख की सब्जी विक्रय करने से किसान को रु. 2.50 लाख का फायदा हुआ, अर्थात् प्रति एकड़ रु. 1 लाख का लाभ इन ग्रामीण कृषक को हुआ।



4. धामनसरा-मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिला राजनांदगांव

राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 12 कि.मी. दूर शिवनाथ नदी के बांये तट पर धामनसरा-मोहड़ एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना राजनांदगांव जिले एवं विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम जंगलेसर एवं मोहड़ के समीप स्थित है। इस योजना से ग्राम जंगलेसर से 120 हे. एवं ग्राम मोहड़ से 120 हे. रकबे में खरीफ एवं रबी सिंचाई सूक्ष्म (ड्रीप) पद्धति से दोनो ग्रामों के लगभग 273 कृषक लाभान्वित होंगे। योजना से लाभान्वित दोनो ग्रामों के लिए अलग-अलग इंटेकवेल पम्प हाऊस फिल्ट्रेशन यूनिट, तकनीकी संचालन कक्ष, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एवं प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण किया गया है। कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत कुल पाइप लाइन की लम्बाई 80244 मीटर है।



इस सूक्ष्म सिंचाई योजना में पी.वी.सी. पाइप लाइन भूमिगत होने से जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है, जिससे कृषि भूमि के क्षेत्र में कमी नहीं हो रही है। कृषक अपने पूरी भूमि पर खेती कर सकता है। ड्रीप पद्धति से सिंचाई सुविधा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई प्रदाय किया जाना है। क्षेत्र के कृषक अपनी सुविधानुसार पारम्परिक फसल चक्र में परिवर्तन कर आधुनिक खेती कर केश-क्राप (नगद-फसल) ले कर लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना का सुचारु रूप से संचालन हेतु दो सक्रिय वाटर-यूजर ग्रुप पंजीकृत किया जा चुका है, जिससे भविष्य में योजना के रखरखाव व संचालन में सुविधा होगी। किसानों को समय-समय पर उन्नत खेती एवं फसल चक्र परिवर्तन हेतु सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।



5. महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर लखौली (आरंग) रेल्वे स्टेशन के समीप रेल्वे ब्रिज निर्माण कार्य

छ.ग. राज्य की जीवन रेखा मानी जाने वाली महानदी पर निर्मित रविशंकर सागर परियोजना का निर्माण ब्रिटिश शासन में वर्ष 1912-1917 के मध्य 42264 हे. में खरीफ सिंचाई के लिए किया गया था। समय-समय पर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होने से परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता वर्तमान में धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद जिले के 314400 हेक्टेयर क्षेत्र में हो गयी है, जिसके लिए अधिकांश लंबाई में नहर जीर्णोद्धार, लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर्स का निर्माण नये डिजाईन के अनुसार हो गया है।

महानदी मुख्य नहर में लाइनिंग का कार्य हो जाने के बाद सिंचाई रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि होने के साथ-साथ पानी की बरबादी को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर रेल्वे का ब्रिटिश जमाने में निर्मित रेल्वे पुल के कारण नहर में पूर्ण क्षमता के साथ जल बहाव प्रवाहित नहीं हो पा रहा था, जिसे दूर करने के लिए शासन द्वारा ब्रिज निर्माण हेतु रु. 2633.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। रेल्वे एवं जल संसाधन विभाग के विशेष पहल से रेल्वे ब्रिज का निर्माण पूर्णता की ओर है। इस रेल्वे पुल के निर्माण हो जाने से जिला रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद के 479 ग्रामों के अंतर्गत की सिंचाई के लिए महानदी मुख्य नहर में उच्चतम जल स्तर तक पर्याप्त जल बहाव सुगमतापूर्वक प्रवाहित किया जा सकेगा।



महानदी मुख्य नहर के कि.मी. 83.35 पर लखौली (आरंग) रेल्वे स्टेशन के समीप रेल्वे ब्रिज निर्माण कार्य

6. राज्योत्सव 2021 - झलकियां



माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन, राज्योत्सव 2021 के दौरान विभाग के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए



राज्योत्सव 2021 के दौरान जल संसाधन विभाग का स्टॉल

7. जिला बीजापुर में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के साथ जिला खनिज न्यास निधि के तालमेल से जलाशयों की सिंचाई परियोजना पुनर्स्थापन अंतर्गत कोडोली जलाशय नहर लाईनिंग द्वारा तीन वर्ष पश्चात् खरीफ के साथ रबी फसलों को भी सिंचाई जल सुनिश्चित किया गया है। जिसके फलस्वरूप कृषक आज बासमती चावल की पैदावार कर रहे हैं।



8. भारत सरकार द्वारा नेशनल वाटर एवार्ड 2019

भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण/ प्रबंधन एवं नदी पुनरुद्धार के क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के लिए जल संरक्षण श्रेणी में सूरजपुर जिला को एवं नदी पुनरुद्धार श्रेणी में बिलासपुर जिला को प्रथम पुरस्कार दिया गया है।



9. परासी सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिला : गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही

गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम पोंड़ी एवं पथरी के 220 कृषकों के 180 हेक्टेयर रकबे में सूक्ष्म (ड्रीप) पद्धति से खरीफ एवं रबी सिंचाई किये जाने हेतु इंटेकवेल पम्प हाऊस फिल्ट्रेशन यूनिट, तकनीकी संचालन कक्ष, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एवं प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण किया गया है।




ग्राम पथरी के प्रगतिशील कृषक श्री ओमसिंह एवं श्री धनसिंह ने इस योजना से 1 एकड़ क्षेत्र में टमाटर की फसल लगायी, जिसमें उनको लगभग रु. 100000/- लागत आयी। फसल के दौरान जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मैदानी अमले ने कृषकों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया।

खेत में लगभग 31 टन टमाटर की फसल का उत्पादन हुआ, कृषक द्वारा इन्हें रु. 16500/- प्रति टन के हिसाब से बाजार में बेचकर, रु. 5.00 लाख के टमाटर का विक्रय करने से कृषक श्री ओमसिंह एवं श्री धनसिंह को कुल रु. 4.00 लाख/एकड़ का फायदा हुआ।



छीरपानी जलाशय, जिला-कबीरधाम





जल है तो कल है....



जल संसाधन विभाग

कार्यालय माननीय मंत्री जी 0771-2510223, 2221223

कार्यालय सचिव 0771-2221977, 2229977

कार्यालय प्रमुख अभियंता 0771-2512951